इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदुशा राज्जपत्र <br> प्राधिकार से प्रकाशित 

क्रमांक 11]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च 2017—फाल्गुन 26, शक 1938

## विषय-सूची

भाग 1.-(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.-(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग ?

## राज्य शासन के आदेश

## सामान्य प्रशासन विभाग

 मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2017क. ई-1-56-2017-5-एक.-इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2017 की तालिका-1 के अनुक्रमांक 1 जिसके द्वारा श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे (1996), आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल तथा पदेन सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को आयुक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (अतिरिक्त प्रभार) पदस्थ किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पदस्थ किया जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे (1996) द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समक्ष घोषित करता है.
(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2017 की तालिका-1 के अनुक्रमांक 2 , जिसके द्वारा श्री विवेक पोरवाल, भाप्रसे (2000), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल पदस्थ किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पद पर पदस्थ किया जाता है.
(4) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2017 के पद 2 के अनुक्रम में अब श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), द्वारा आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे (1996), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (अतिरिक्त प्रभार), केवल आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बंसत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2017
क्र. एफ-5-07-2016-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एस. के. सेठ, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं :-

| अ. | अवकाश अवधि | $\begin{aligned} & \text { कुल } \\ & \text { दिन } \end{aligned}$ | अवकाश का प्रकार | अभियुक्ति |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 01 | दिनांक 11 से 20 जनवरी 2017. | दस | पूर्ण वेतन <br> तथा भत्तों सहित कम्युटेड <br> अवकाश | अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने के अनुमति सहित. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2017
क. ई-5-1024-आयएएस-लीव-5-एक.-श्री रमेश भण्डारी, आयएएस., कलेक्टर, जिला छतरपुर को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जनवरी 2017 द्वारा दिनांक 30 जनवरी से 4 फरवरी 2017 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

## भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2017

क्र. ई-5-863-आयएएस-लीव-5-एक.-(1) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे (2010) संचालक, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास को दिनांक 18 से 30 अप्रैल 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कृष्ण गोपाल तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग<br>मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल<br>भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2017

क्र. एफ 1-119-2016-ब-2-दो .-श्री महेश चंद्र जैन, भापुसे, तत्का. पुलिस अधीक्षक रेल, इंदौर, वर्तमान में पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा दिनांक 22 से 25 नवम्बर 2016 तक चार दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में रेयांग बीच (थाईलैण्ड) में उनके मित्र की पुत्री के विवाह समारोह में सम्मिलित होने हेतु निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) की कार्योत्तर स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अंथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चंद्र जैन, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक झाबुआ के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकशकाल में श्री महेश चंद्र जैन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने का पूर्व मिलता था.
(4) प्रमामित किया जाता है कि यदि श्री महेश चंद्र जैन, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2017
क. एफ 1-23-2017-ब-2-दो .-राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2 फरवरी 2017 द्वारा श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय,

भोपाल द्वारा दिनांक 6-11 फरवरी 2017 को लंदन (U.K.) में आयोजित 'Sheffield Hallam University" में आयोजित स्टडी टूर में सम्मिलित होने के उपरांत दिनांक 13 से 16 फरवरी 2017 तक चार दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 12 फरवरी 2017 के पूर्ववर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति प्रदान की गई थी.
(2) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2017 का एक्स-इंडिया अवकाश का उपभोग किये जाने के कारण दिनांक 14 से 16 फरवरी 2017 तक तीन दिवस अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है. आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. एफ 1 (ए) 92-2011-ब-2-दो.-राज्य शासन, श्री के. बी. शर्मा, भा. पु. से., पुलिस उप महानिरीक्षक (ग्रामीण) रेन्ज भोपाल, को दिनांक 27 फरवरी से 10 मार्च 2017 तक बारह दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 26 फरवरी एवं 11, 12 मार्च 2017 के विज्ञाप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से., के अवकाश अवधि में उनका कार्य डॉ. रमन सिंह सिकरवार, भा. पु. से. पुलिस महानिरीक्षक (ग्रामीण) रेन्ज भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकश से लौटने पर श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से. को अस्थाई रुप से आगामी आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक (ग्रामीण) रेन्ज भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री के. बी. शर्मा, भा. पु. से., पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) पु. मु. भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है किह्य यदि श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

$$
\text { भोपाल, दिनांक } 8 \text { मार्च } 2017
$$

क्र. एफ 1(ए) 128-90-ब-2-दो.-राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जनवरी 2017 के अनुक्रम में श्री शैलेष सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सीरीयस फ्राड्स, आरबीआई, मुख्यालय, मुम्बई को दिनांक 28 दिसम्बर 2016 से 7 जनवरी 2017 तक ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8 जनवरी 2017 के विज्ञाप्त अवकाश के लाभ के साथ पूर्व स्वीकृत अवकाश अवधि में श्री सिंह, भापुसे को खण्डवर्ष-2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 के विस्तार वर्ष 2017 में गृह नगर, की यात्रा के बदले भारत भ्रमण की अवकाश

यात्रा के तहत् भोपाल, जैसलमेर, जयपुर, दिल्ली एवं मुम्बई की परिवार के निम्न सदस्यों के साथ यात्रा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

```
1. श्री शैलेष सिंह, - स्वयं
2. श्रीमती सुनीता सिंह - पत्नी
```

(2) उक्त पूर्व स्वीकृत अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत श्री शैलेष सिंह, भापुसे, को 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो इनके अवकाश खाते से 10 दिवस घटाये जायेंगे.
(3) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

## विधि और विधायो कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2017
फा. क्र. I-1-2002-इक्कीस-ब (एक)-939 .-राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालयों के पद पर एतद्द्वारा, उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :-
क्र. नाम एवं वर्तमान पद

| 62 वर्ष आयु पूर्ण |
| :--- |
| करने की तिथि |


| श्री श्याम सुंदर ग़र्ग, |
| :--- |
| सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश. |
| 2 19-01-2019 |
| श्री योगेश कुमार सोनगरिया, |
| सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश. | 03-02-2019

## भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

फा. क्र. 1-2016-इक्कीस-ब (एक) 942.-राज्य शासन एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 19 जनवरी 2017 को मान्य करते हुए सुश्री दिव्या चौधरी, प्रथम व्यवहार न्याधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश) ग्वालियर, मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 12 फरवरी 2017 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2017
फा. क्र. 1-2016-इक्कीस-ब(एक) 942.-राज्य शासन एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 19 जनवरी 2017 को मान्य करते हुए श्री कन्हैया जी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश) ग्वालियर, मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 12. फरवरी 2017 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है.

फा. क्र. 3(ए)01-2017-इक्कीस-ब(एक) 941.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ श्रेणी) को मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवाशर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5(1) (बी) सहपठित नियम 8 (1) के अंतर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी, आदेश होने तकं, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-380-63070, के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त करता है :-

1. श्री अयाज़ मोहम्मद
2. श्री ऋतुराज सिंह चौहान
3. श्री अजय सिंह ठाकुर
4. श्री केशव मणी सिंघल
5. श्री आलोक कुमार मिश्रा
6. श्री नरसिंह बघेल
7. श्री राजेश कुमार देवलिया

फा. क्र. 1-2016-इक्कीस-ब(एक) 942.-राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 19 जनवरी 2017 को मान्य करते हुए श्री कन्हैया जी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश) ग्वालियर, मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 12 फरवरी 2017 के अपराह्न से स्वीकृत करता है.

फा. क्र. 1-2016-इक्कीस-ब(एक) 944.-राज्य शासन, एतद्व्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 4 फरवरी 2017 को मान्य करते हुए श्री अंशुमन धुन्ना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रतलाम के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश का त्यागपत्र दिनांक 16 जनवरी 2017 के अपराह्न से स्वीकृत करता है.

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2017
फा. क्र. 1-2016-इक्कीस-ब(एक) 942.-राज्य शासन, एतद्व्वारा मध्यप्रदेश उच्व न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 19 जनवरी 2017 को मान्य करते हुए, सुश्री दिव्या चौधरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश) ग्वालियर, मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 12 फरवरी 2017 के अपराह्न से स्वीकृत करता है.

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2017
फा. क्र. 3(ए)02-2017-इक्कीस-ब(एक)-510.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम-5(1) (ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:-

1. श्री रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत, उपसचिव, मानव अधिकार आयोग, भोपाल.
2. श्री सुधीर मिश्रा, IC.J.CI-I \& CJM, रायसेन
3. श्री यतिन्द्र कुमार गुरू, IC.J.CI-I \& CJM, सीधी
4. श्रीमती दीपाली शर्मा, IC.J.CI-I \& CJM, खण्डवा
5. श्री संजय कुमार गुप्ता, (Sr.), IC.J.CI-I \& CJM, गुना.
6. श्री दीपक शर्मा, IC.J.CI-I \& CJM, दमोह
7. श्री दिलीप गुप्ता, IC.J.CI-I \& CJM, रीवा

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2017
फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).— (मेरिट क्र. 60), राज्य शासन, सुश्री निधि शाक्यवार पिता श्री नरोत्तम दास शाक्यवार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 8 अगस्त, 1989 है.

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2017
फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).-(मेरिट क्र. 41), राज्य शासन, सुश्री पूजा गोले पिता श्री राम प्रकाश गोले को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-108044770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अंभ्यर्थी का गृह जिला होशंगाबाद (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्म्मतिथि 26 सितम्बर, 1985 है.

फा. क्र. 3(बी) 3-2015-इक्कीस-ब(एक).- (मेरिट क्र. 54), राज्य शासन, श्री अनुराग सिंह सुमन पिता श्री चन्द्रपाल सुमन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वे तनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 27 मई 1980 है.

फा. क्र. 3(बी) 3-2015-इक्कीस-ब(एक).-( मेरिट क्र. 63), राज्य शासन, श्री संजीव पिपलादिया पिता श्री किशन पिपलादिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वे तनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला खण्डवा (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 7 अगस्त, 1982 है.

फा. क्र. 3(बी) 3-2015-इक्कीस-ब(एक).— (मेरिट क्र. 82), राज्य शासन, श्री अरूण सिंह अलावा पिता कालू सिंह अलावा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 18 मई, 1988 है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2017
फा. क्र. 1 अ-1-15-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी करने के निम्नलिखित अधिवक्ताओं को जिन्हें विभाग के आदेश दिनांक 5 मई 2016 द्वारा लोक अभियोजक की शक्तियां प्रदान की गई थी, को महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद पर शासन द्वारा निर्धारित मासिक पारिश्रमिक पर दिनांक 7 मार्च 2017 से तीन माह (दिनांक 6 जून 2017 तक) की अवधि के लिए पूर्ववर्ती शर्तों पर पुनर्नियुक्त करता है:-

## महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर अतिरिक्त महाधिवक्ता

क्रमांक अधिवक्ता का नाम
(1)
(2)

1 श्री पुरूषेन्द्र कौरव

2 श्री करमजीत सिंह वाधवा

पद
(3)

अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर.

अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर.

## उप महाधिवक्ता पद् हेतु

## क्रमांक अधिवक्ता का नाम <br> पद

(1)
(2)
1 श्री संजय द्विदेदी
2 श्री समदर्शी तिवारी
(3)
उप महाधिवक्ता
उप महाधिवक्ता

## विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता

1 श्री दिवेश जैन

2 श्री पुष्पेन्द्र यादव
3 श्री गिरीश कैकरे
4 श्री स्वपनिल गांगुली
5 श्रीमती शाहिन फातिमा
6 श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय
7 श्री दीपक अवस्थी

8 श्री ब्रम्हदत्त सिंह
9 श्री व्यंकटेश प्रसाद पाण्डेय
10 श्रीमती दिव्य कीर्ति बोहरे
11 श्री अमित सेठ
12 श्री अजय प्रताप सिंह
13 श्री अखिलेन्द्र सिंह
14 श्री पियूष धर्माधिकारी.
15 श्री आशीष आनन्द बर्नाड
16 श्री अजय शुक्ला
17 श्री प्रदीप सिंह

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.

## उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता

1 श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान
2 सुरभि निगम

3 श्री जाहान्वी पंडित

उप विधि अधिकारी/ उप शासकीय अधिवक्ता.
उप विधि अंधिकारी/
उप शासकीय अधिवक्ता.
उप विधि अधिकारी/
उप शासकीय अधिवक्ता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2017
फा. क्र. 935-इक्कीस-ब (दो).-विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उपधारा (2) को खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्ता, उच्च्च न्यायालय, जबलपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लियें मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है.
F. No. 935-XXI-B (2).-In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consulation with the Acting Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, hereby nominate Shri Anushuman Singh, Advocate, Jabalpur as Member of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charge.

$$
\text { भोपाल, दिनांक } 9 \text { मार्च } 2017
$$

फा. क्र. 882-इक्कीस-ब (दो).-राज्य शासन, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय के पत्र क्रमांक-45-2017, दिनांक 2 फरवरी 2017 तथा सामान्य प्रशासन विभाग की नस्ती यू. ओ. क्र. 28-17-1-10-2017, दिनांक 16 फरवरी 2017 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर में विचाराधीन राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु श्री करमजीत सिंह वाधवा, अधिवक्ता, जबलपुर को $55,000 /-$ (पचपन हजार) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा $24-8$ दं. प्र. संहिता के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पा सकेंगे. प्रत्येक माह बिल की राशि का भुगतान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो करेगा.

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. सोनी, अति. सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2017
क्र. 638-773-2015-ए-ग्यारह .—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुए, राज्य

शासन, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. विजयपुर, जिला गुना वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4268, दिनांक 2 अप्रैल 2017 से, एमपी/4336, दिनांक 1 अप्रैल 2017 से, एमपी/4619, दिनांक 1 अप्रैल 2017 से, एमपी/ 4898, दिनांक 8 मई 2017 से, एमपी/4337, दिनांक 2 अप्रैल 2017 से, एमपी/4338, दिनांक 2 अप्रैल 2017 से, एमपी/3772, 10 अप्रैल 2017 से, एमपी/4572, दिनांक 9 अप्रैल 2017 से, एमपी/4897 दिनांक 9 अप्रैल 2017 से निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 30 सितम्बर 2017 तक के लिये छूट प्रदान करता है:-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश इन्दौर, को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन कें बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत-कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 को अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.

## श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2017
क्र. एफ 1 ए-06-2016-ए-सोलह.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 7 की उपधारा के साथ पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को

प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को उसके (सारणी के) कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :-

## सारणी

\(\left.$$
\begin{array}{l}\text { क्रमांक न्यायिक अधिकारी } \\
\text { का नाम } \\
\text { (2) }\end{array}
$$ \begin{array}{c}श्रम न्यायालय के <br>

पीठासीन अधिकारी\end{array}\right]\)| (3) |
| :--- |
| 1 श्री कैलाश प्रसाद मरकाम |
| 2 शीठासीन अधिकारी, |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग<br>मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल<br>भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2017

क्र. एफ 3-14-अठारह-5-2015.—एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के तहत् खजुराहो विकास योजना 2031 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी.-

(1)
(2)
(3)
(4)
3. प्रतिनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स सदस्य इण्डिया.
4. प्रतिनिधि जिला कलेक्टर, छतरपुर सदस्य
5. प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सदस्य विभाग, छतरपुर
6. प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण सदस्य विभाग, छतरपुर
7. प्रतिनिधि वन मंडलाधिकारी, वन मंडल, सदस्य छतरपुर.
झ समिति का संयुक्त संचालक, नगर तथा समिति का संयोजक ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, संयोजक सागर.

क्र. एफ 3-19-अठारह-5-2017.—एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अंतर्गत बैरसिया विकास योजना 2021 हेतु कलेक्टर एवं सचिव जिला योजना समिति भोपाल, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 244 , दिनांक 23 जनवरी 2003 को निरस्त करते हुए बैरसिया विकास योजना 2031 निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:-
अधिनियम पदनाम संस्था का नाम/पता समिति
की धारा 17-क(1)
की
उपधारा

| (1) | (2) | (3) | (4) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| क | अध्यक्ष | अ. नगरपालिका परिषद्, बैरंसिया. | सदस्य |
| ख | अध्यक्ष | जिला पंचायत, भोपाल | सदस्य |
| ग | लोकसभा सदस्य | संसदीय क्षेत्र, भोपाल | सदस्य |
| घ | विधायक | विधान सभा, बैरसिया | सदस्य |
| ङ | अध्यक्ष | जनपद पंचायत, बैरसिया | सदस्य |
| च | सरपंच | ग्राम पंचायत, खजूरिया रामदास. | सदस्य |
|  | सरपंच | ग्राम पंचायत, मेघरा कला ग्राम पंचायत, सेमराकलां |  |
| छ | 1. प्रतिनिधि | कोसिल ऑफ आर्किटेक्वर | सदस्य |
|  | 2. प्रतिनिधि | इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया. | सदस्य |
|  | 3. प्रतिनधि | इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया. | सदस्य |
|  | 4. प्रतिनिधि | जिला कलेक्टर, भोपाल | सदस्य |
|  | 5. प्रतिनिधि | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भोपाल. | सदस्य |

## (1)

(2)
(3)
(4)
6. प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री, लोक

सदस्य स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल.
7. प्रतिनिधि वन मंडलाधिकारी, वन मंडल, सदस्य भोपाल.
समिति का संयुक्त संचालक, नगर तथा समिति का संयोजक. ग्राम निवेश, भोपाल. संयोजक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

## ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2017

क्र. 2016-तेरह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पूर्व/मध्य/ पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड को "मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्) विनियम, $1960^{\prime \prime}$ के विनियम चौदह में उल्लेखित अर्हता धारक व्यक्तियों की विनियम अठारह में उल्लेखित पाठ्यचर्या के भाग-एक एवं भाग-चार में मौखिक तथा व्यवहारिक परीक्षा लेने के उपरांत उन्हें शिरोपरि तारमिस्त्री (ओवरहेड वायरमैन) का परमिट जारी करने के लिये अधिकृत करता है. अर्हता का विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा पाठ्यचर्या का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है.
2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत् आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त विद्युत् वितरण कंपनियों द्वारा जारी उपरोक्त परमिट को विनियम 29 के उप विनियम (1) में उल्लेखित विद्युत् प्रतिस्थापन के कार्य करने के प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. धारीवाल, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

परिशिष्ट-1

तारमिस्त्री की परीक्षा में प्रवेश संबंधी अर्हताएं. —तारमिस्त्री की परीक्षा के लिये उम्मीदवार ने मध्यप्रदेश में विद्युत् ठेकेदार के अधीन कम से कम दो वर्ष तक तार लगाने (वायरिंग) का तथा/या अन्य विद्युत् संस्थापन का कार्य किया हो अथवा उसे ऐसा अन्य व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए जो मंडल द्वारा संतोषप्रद पाया जाये.

परिशिष्ट-2

## भाग-एक

(ए) संबंधित लोड के लिये तारों के आकार अभिनिश्चित करना.
(बी) परीक्षण जैसे टेस्ट लैंप, घंटी तथा बैंटरी, मानक तार, प्रमापी (गेज) का उपयोग, मेगर, भू-परीक्षण यंत्र (अर्थ टेस्टर) का उपयोग, त्रुटि की जांच, ध्रुवता (पोलीरिटी) के परीक्षण की प्रणाली तथा परिपथ (सर्किट) के फेजिंग आर्डर आउट का तरीका.
(सी) कृत्रिम श्वसन (रेस्पिरेशन) उपचार.
(डी) परिपथ (सर्किट) में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के कनेक्शन.
(ई) भारतीय विद्युत् अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों की सामान्य जानकारी.
(एफ) ओहम का नियम.
(जी) प्रत्यावर्ती धारा (ए. सी.) तथा दिष्ट धारा (डी. सी.), विद्युत् पूर्ति के बीच का भेद.
(एच) मानक तार प्रमापी (गेज) का उपयोग.
(आई) वितरण परिपथ (डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट) का आरेख (डायग्राम)
(जे) विद्युत् दाब (इलेक्ट्रिकल प्रेशर) (वोल्ट्स).
(के) विद्युत् धारा (इलेक्ट्रिकल करंट) (एम्पीयर).
(एल) शक्ति (पावर) (वाट्स) ऊर्जा (एनर्जी) (वाट आवर्स).
(एम) संवाहक (कन्डक्टर) और विद्युत् रोधक (इनसुलेटर्स)
(एन) ऊर्जा मापक यंत्री (एनर्जी मीटरों) का वांचन (रीडिंग).
(ओ) शक्ति (पावर) तथा ऊर्जा (एनर्जी) की साधारण संगणना
(पी) भूयोजन (अर्थिंग).
(क्यू) तार (वायर) तथा केबल पर टांका लगाने वाला दस्ता( (सोल्डरिंग लग्ज).
(आर) अल्यूमीनियम तार (वायर) का उपयोग तथा उसका जोड़ना.
(एस) विद्युत् धक्के (इलेक्ट्रिक शाक) से पीड़ित किसी व्यक्ति के मामले में बरते जाने वाले पूर्वोपाय तथा उपचार की पद्धति.

## भाग-चार

खंभे, स्टे, टेके (स्ट्रट) खड़े करना, स्पान की लंबाई, गार्डवायरों सुरक्षात्मक साधन, भू-संपर्कन ( अर्थिंग) तड़ित निरोधक (लाईटनिंग अरेस्टर) तथा विभिन्न प्रकार के कंडक्टर्स जोड़ (ज्वाइन्ट्स) तथा टांकों के प्रकार, कंडक्टरों के बीच की दूंरी तथा झोल, एरियल लाइनों के संवाहक की भवन से या जमीन से दूरी.

ऊपरी लाईनें और केबलों पर कार्य करने हेतु अपेक्षित सुरक्षा संबंधी उपायों तथा सामान्य उपयोग वाले सुरक्षा उपकरणों के उपयोग का ज्ञान.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम, अधिकरण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2017
क्र. 287-फा.दो.-22-1-स्था.-2013.-मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम, 34 (2) (ख) के अनुसरण में, एतद्द्वारा, अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2017 के कलैण्डर अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 22 मई 2017 से 3 जून 2017 तक की अर्वधि का ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश रहेगा.

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, एम. एस. परिहार, रजिस्ट्रार I/C.

## राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12.11.2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्य नीति के अंतर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम कमाक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम कमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी नहर परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए आवश्यक हैं।

## अनुसूची

1. ग्राम का नाम :- बागनखेड़ा
2. तहसील :- कन्नौद
3. जिला :- देवास
4. कुल प्रस्ताव :- 01

| क्र.संपत्ति का <br> विवरण | कृषक का नाम <br> क्रमांक | अर्जन योग्य <br> भूमि का रकबा <br> (हे. में) |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | कृषि भूमि | श्रीमती बसुबाई पति कैलाशचंद्र जाति बलाई | $107 / 3$ | 0.04 |

कुल सर्वे नंबर- 01 कुल प्रस्ताव- 01
उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी नहर परियोजना के अंतर्गत ग्राम बागनखेड़ा की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013"की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
,
-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

| क. | जिला | छिन्दवाड़ा |
| :--- | :---: | :--- |
| ख. | तहसील | चौरई |
| ग. | ग्राम-काराबोह <br> ब.न.-20 <br> प.ह.न-20 <br> रा.नि.मं.-चौरई |  |
| घ. | अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित |  |
| क्षेत्रफल |  |  |$\quad$| 0.400 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर |
| :--- |
| आने वाली संपत्तियां |


| कमांक | प्रस्तावित खसरा नंबर | प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) |
| :---: | :---: | :---: |
| $(1)$ | $(2)$ | (3) |
| 1 | $42 / 3,43 / 2,43 / 3,44 / 1,45 / 1,45 / 2,45 / 3,45 / 4$ | 0.170 |
| 2 | $31,32 / 1,32 / 2,33 / 3,33 / 4,34$ | 0.230 |
|  | योग :- | 0.400 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल <br> पर आने वाली संपत्तियां |

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है।
4.-अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
5-अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शें (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
6-अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसभाग कमांक 1 सिंगना जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

चूंकि राज्य शांसन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूंची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवंश्यकतो पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।
2 चूँकि, मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) $/ 101 / 2013 /$ एमपीएस $/ 31 / 2263$ भोपाल दिनांक 25.09 .2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएवं उपंरोक्त .के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजनां के रूप में कियान्चित है भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारददर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिंोर्ट का सारींश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह योजना नवीन भू-अर्जन अधिनियम के पूर्व की होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के सारांश प्रकाशित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।
3.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें।

1. भूमि का वर्णन:-

| जिला | तहसील | नगर / ग्राम | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| छिन्दवाड़ा | चौरई | ग्राम-केवलारीसंभा प०ह0न-03, ब.न. -32. रा.नि.मं.-चौरई | शासकीय आबादी भूमि एवं शासकीय भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां। | भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाडा | पेंच व्यपवर्तन <br> परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये शासकीय आबादी भूमि एवं शासकीय भूमि पर स्थित मकानों का अधिग्रहण |

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र० शासन राजरव विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि को नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय क्लेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उंल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाडा (म०प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
4. अर्जित की जांने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि कानक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग कमांक 1 चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग कमांक 1 सिंगना तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाडा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उंल्लेखित प्रसतावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किंये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर स्स्रते है।
रा.प्र.क्रमांक 01-अ-82-2016-2017-भू-अर्जन,
छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 फरवरी 2017
म०प्र० शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एक-12-2/2014/सात/शा. 2 ए भ्येपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्य नीति'(Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कुय किये जाने हेतु म०प्र० जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्य किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति लें ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

| जिला | तहसील | नगर / ग्राम | कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता | खसरा नम्बर | कय <br> किये <br> जाने <br> वाला प्रस्तावित <br> रकबा <br> (हेक्टेयर <br> मे) | योजना जिसके लिये भूमि क्य की जाना प्रस्तावित है । |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| छिन्दवाड़ा | चॉद | ग्राम-भांडपिपरिया, प0ह0न0-36 / 19 , ब०न०- 217. रा०नि०म० -चॉद, तहसील-चांद, | श्री रामदयाल पिता टेकचंद निवासी ग्राम भूमि स्वामी <br> 2. श्री घूड़न पिता गोधन तेली निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 152/3 <br> 142/1 | $0.019$ $0.007$ | पेंच व्यपवर्तन वृहद परियो जना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये। |
|  |  | कुल योग |  |  | $\begin{aligned} & 0.026 \\ & \text { हेक्टेयर } \end{aligned}$ |  |

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रकरण क्र. /अ-82/2014-15 ग्राम- फरका पठरई चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभांग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ $12-2 / 2014 /$ सात $/ 2$ ए भोषाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ $12-2 / 2014 /$ सात $/ 2$ ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी बल्देवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

1. परियोजना का नाभ :- बनसुजारा परियोजना नहुर निर्माण करने हेतु।
2. भूमि का विवरण :- ग्राम-फरका पठरई तहसील-खरगापुर जिला-टीकमगढ़ अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-16.638 हेक्टेयर

अनुसूची


| 3 | परमा परवता लाल्ले तनय रज्जू जाति लोधी पता नि० ग्राम हि. $1 / 2$ भाग भूमि स्वामी जानकी रघुवीर काशीराम तनय लछुवा मु. प्रेमबाई बेबा लछुवा हि. $1 / 8$ जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मोतीलाल श्यामलाल तनय भग्गू जाति लोधी पता नि. ग्राभ हि. $1 / 12$ भाग भूमि स्वामी मु. नत्थी पुत्री जगना जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 12$ भाग भूमि स्वामी भग्गू तनय किशना जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 12$ भाग भूमि स्वामी झल्लू तनय मल्खू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 8$ भाग भूमि स्वामी अर्जना तनय विरूवा जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 8$ भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.56 | 535 | 0.619 | 0.270 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 529 | 0.012 | 0.012 |
|  |  | 466 | 0.858 | 0.110 |
|  |  | 471 | 0.049 | 0.040 |
|  |  | 478 | 0.639 | 0.195 |
|  |  | 468 | 0.016 | 0.002 |
|  |  | 218 | 0.429 | 0.110 |
|  |  | 235 | 0.045 | 0.045 |
|  | योग- |  | 2.667 | 0.784 |
| 4 | झल्ली तनयं मलखू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 2$ भाग भूमि स्वामी भणिबाई पत्नि रतीराम जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 2$ भाग भूमि स्वामी भू-राजस्ज 0.44 | 534 | 0.045 | 0.045 |
|  |  | 528 | 0.081 | 0.081 |
|  |  | 526 | 0.081 | 0.081 |
|  |  | 472 | 0.409 | 0.150 |
|  |  | 234 | 0.101 | 0.008 |
|  | योग- |  | 0.717 | 0.365 |
| 5 | लाल्ले पर्वता परमा तनय रज्जू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. बराबर भाग भूमि स्वामी जानकी रवुदीर काशीराम तनय लछुवा मु. प्रेम वेवा लछुवा पाना पुत्री लछुवा जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि. बराबर भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.44 | 532 | 0.045 | 0.025 |
|  |  | 530 | 0.190 | 0.025 |
|  |  | 524 | 0.113 | 0.040 |
|  |  | 527 | 0.267 | 0.170 |
|  |  | 469 | 0.494 | 0.370 |
|  |  | 236 | 0.125 | 0.017 |
|  | योग- |  | 1.234 | 0.647 |
| 6 | मोतीलाल श्यामलाल त. भग्गू मु. खिमियार वेवा भग्गू गोदा राजा पुत्री भग्गू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 3$ बराबर भाग भूमि स्वामी होतीलाल श्यामलाल तनय भग्गू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $2 / 3$ भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.06 | 533 | 0.028 | 0.028 |
|  |  | 525 | 0.061 | 0.015 |
|  |  | 470 | 0.101 | 0.050 |
|  |  | 473 | 0.186 | 0.135 |
|  |  | 474 | 0.081 | 0.008 |
|  | योग- |  | 0.457 | 0.236 |
| 7 | मु. रम्बू पुत्री कलुवा हि. $1 / 4$ भाग भूमि स्तामी जगदीश विन्दा तनय गनेश हि. $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी मोतीलाल श्यामलाल तनय भग्गू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 2$ भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.56 | 508 | 0.170 | 0.130 |
|  |  | 509 | 0.397 | 0.001 |
|  | योग- |  | 0.567 | 0.131 |
| 8 | रूपरानी पत्नि झल्ली जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.62 | 447 | 0.081 | 0.030 |
|  |  | 446 | 0.137 | 0.055 |
|  | योग- |  | 0.218 | 0.085 |
| 9 | सीताराम तनय नाथूराम $0.112 / 0.748$ रूपरानी प. झल्ली 0 . 635/0.748 जाति लोधी पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भू-राजस्व 0. 62 | 442 | 0.748 | 0.155 |
|  | योग- |  | 0.748 | 0.155 |


| 10 | मोतीलाल श्यामलाल तनय भग्गू मु. खिमिया वेवा भग्गू गोदा राजा <br> पुत्री भग्गू जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.94 | $401 / 1$ | 0.336 | 0.194 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |


|  | सीताराम अनंतराम हरीराम तनय नथ जाति लोधी पता नि. ग्राम हि <br> $1 / 6$ भाग भूमि स्वामी मु. जानकीबाई पुत्री रन्चे जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 24$ भाग भूमि स्वामी अर्जना मतंगा तनय चउदा जाति चमार पता नि. ग्राम हि. $1 / 12$ भाग भूमि स्वामी धर्मा हल्कइंया तनय मुनिया जाति चमार पता नि. ग्रांम हि. $1 / 12$ बराबर भाग भूमि स्वामी बसन्ती हरदास भूरा गुल्पा तनय रच्चुवा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मु. परवतिया वेवा रन्चुवा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी पैलवान तनय भेरमा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी गोरेलाल रक्खू सरमन हरसींगा तनय पैलवान जाति चमार पता नि. ग्राम हि. $1 / 24$ भाग भूमि स्वामी घसीटा तनय मल्लू हि. $1 / 24$ जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजख 13.88 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | योग- |  | 2.741 | 0.739 |
|  | कलिया पुत्री रमला जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी तुलसी | 192 | 0.166 | 0.060 |
| 14 | जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 3$ भाग भूमि स्वामी कूरा तनय दम्मा जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 12$ भाग भूमि स्वामी लखन हरीराम तनय कुटुवा मु. हीरापुरबारी वेवा कटुवा जाति लोधी पता नि. ग्राम हि, $1 / 12$ भाग भूमि स्वामी सरजू बच्ची नथुवा वृजलाल तनय अजैया जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमे स्वामी नु. जटेरावावरी वेवा गजैया जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 6$ भाग भूमि स्वामी सुन्ना दलपत ठाकुरदास हरचरन त. लम्पू प्यारी पार्वती पु. लम्पु जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 12$ भाग भूमि स्वामी आशाराम तनय सूका जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 6$ भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.94 | 184 | 0.113 | 0.048 |
|  | योग- |  | 0.279 | 0.108 |
| 15 | चंद्रभान खेमराज त. रामस्वरूप रागवेन्द्र हरीनारायण त. भागीरथ विज्जू रक्कू तनय सूके जांति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 10$ भाग भूमि स्वामी हरिराम तनय घन्सू जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मु. कुसुमबाई पत्नि हरीराम जाति लोधी पता नि. ग्राम हि $1 / 10$ भाग भूमि स्वामी प्यारे तनय खुमान जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 15$ भाग भूमि स्वामी कोमल राममिलन तनय गोकल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी लक्ष्मन तनय हल्के जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मु. कैनपुरावारी वेवा हल्के जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 15$ भाग भूमि स्वामी धरंमा तनय भैयालाल जाति लोधी पता नि. ग्राभ भूमि स्चामी गजुवा तनय हिम्मता जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / \mathrm{r}$ भाग भूमि स्वामी बालकिसन प्रेमी रामादीन त. राजाराम जाति लोधी पता नि. ग्राम $1 / 15$ भाग भूमि. स्वामी भू राजसंज 0.88 | 182 | 0.255 | 0.120 |
|  | योग- |  | 0.255 | 0.120 |
| 16 | उत्तम गोकल भुकन लक्ष्मन त. हल्के जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.06 | 270 | 1.501 | 0.120 |
|  | योग- |  | 1.501 | 0.120 |
| 17 | काशीराम तनय सुक्का जाति लोधी पता नि. चाम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.59 | 126/1 | 0.659 | 0.525 |
|  | योग- |  | 0.659 | 0.525 |
| 18 | जुग्गा सिमली रतना तनय दलुवा जाति दर्जी पता नि. ग्राम बरा. भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.59 | 126/2/1 | 1.121 | 0.385 |
|  | योग- |  | 1.121 | 0.385 |


| 19 | धम्मा हल्कइया तनय भुनिया जाति चमार पता नि. ग्राभ भूमि स्वामी भू राजस्व 3.56 | 124/2 | 1.315 | 0.020 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | योग- |  | 1.315 | 0.020 |
| 20 | मलखान तनय लछु जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी भुमानीदीन तनय हिन्दु जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी रामकृपाल गोपी अर्जन बल्दू तनय चिंतामन मु. वेवा चिंतामन जाति लुहार पता नि. ग्राम हि. $1 / 2$ भाग भूमि स्वामी <br> भू राजस्व 6.31 | 112 | 3.318 | 0.650 |
|  | योग- |  | 3.318 | 0.650 |
| 21 | पुन्ना तनय पंचो जाति चमार पता नि. ग्राम भूंमि स्वामी भू राजस्च $1.10$ | 113/1/1 | 0.500 | 0.056 |
|  | योग- |  | 0.500 | 0.056 |
| 22 | गोरेलाल तनय पंचा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.10 | 113/1/2 | 0.500 | 0.056 |
|  | योग- |  | 0.500 | 0.056 |
| 23 | तुलसीदास नारायणदास त. धनुवा फूलमय वे:धनुवा जाति काछी पता नि. ग्रामी $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी नथुवा विज्जू गन्चा नुन्तू त अर्जना जाति काछी पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी लम्पुआ त. रमला जाति काछी पता नि. ग्रामी $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी बावू खन्ज़ गुल्ला छिदामी हल्के तंनय ग्या मु. कल्ली वईई वेवा ग्या जाति काछी पता नि. ग्रामी $1 / 4$ भाग भूमि स्वार्मं भू राजस्व 0.19 | 1554 | 0.077 | 0.077 |
|  |  | 1078 | 0.538 | 0.006 |
|  |  | 1555 | 0.113 | 0.060 |
|  |  | 1075 | 0.607 | 0.010 |
|  |  | 1553 | 0.429 | 0.170 |
|  |  | 1557 | 0.409 | 0.389 |
|  |  | 1558 | 1.368 | 0.120 |
|  |  | 1550 | 0.065 | 0.045 |
|  |  | 1549 | 0.825 | 0.070 |
|  |  | 1551 | 0.323 | 0.235 |
|  |  | 1552 | 0.445 | 0.040 |
|  | योग- |  | 5.199 | 1.222 |
| 24 | करिया कूरा मुलू तनय हज्जू जांति गडरिया पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भू राजस्व 1.25 | 1556 | 0.445 | 0.190 |
|  | योग- |  | 0.445 | 0.190 |
| 25 | सीताराम अनंतराम हरीराम तनय नथुवा जाति लोधी पता नि. ग्राभी $1 / 2$ भाग भूमि स्वामी मू. जानकीबाई पुत्री र्टो जाति लोधी पता नि. ग्रामी $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी रामदुलारी पति सीताराम जाति लोधी पता नि. ग्रामी $1 / 4$ भाग भूमि स्वार्म भू राजस्च 3.75 | 1073 | 2.338 | 1.220 |
|  | योग- |  | 2.338 | 1.220 |


| 26 | वहोरी भागीरथ रामेश्वर दादू खुमान जमना त. पुन्ना उल्ला तनय मगना जाति चमार पता नि. ग्रामी $1 / 2$ भाग भूमि खामी | 1034 | 0.380 | 0.055 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 1035 | 0.081 | 0.081 |
|  |  | 1036 | 0.061 | 0.061 |
|  |  | $\begin{gathered} 1037 / \text { मिन } \\ -2 \end{gathered}$ | 0.224 | 0.224 |
|  |  | 1038 | 0.266 | 0.090 |
|  | योग- |  | 1.012 | 0.511 |
| 27 | वहोरी भागीरथ रामेश्वर दादू खुमान जमना त. पुन्णा जाति चमार पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी | $\begin{gathered} \text { 1037/मिन } \\ -1 \end{gathered}$ | 0.195 | 0.195 |
|  | योग- |  | 0.195 | 0.195 |
| 28 | पंचा तनय रमोला जाति चमार पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी | 1045 | 0.731 | 0.361 |
|  |  |  | 0.731 | 0.361 |
| 29 | धांदू तनय तुलसीं शोंती सुकरत पुत्री तुलसी जाति काछी पता ग्रामी $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी पुन्ने उर्फ पूरन त. मुन्जे जाति लोधी पता ग्रामी $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी दयाराम. तनय घंसू जाति गडरिया पता ग्रामी $1 / 2$ भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 7.94 | 1047 | 3.682 | 0.450 |
|  | योग- |  | 3.682 | 0.450 |
| 30 | काशीराम मातादीन धनीराम तनय मन्नू जाति बाढई पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.81 | 1559 | 1.368 | 0.015 |
|  | योग- |  | 1.368 | 0.015 |
| 31 | सुमिन्ता वेवा धनुवा तुलसीदास भगवानदास तनय धनुवा हि. $1 / 4$ जाति काछी पता ग्रामी भूमि स्वामी नथुवा नून्नू बिज्जू तनय अर्जना जाति काछी पता ग्रामी भूमि स्वामी मु. सुनिया वेवा अर्जना जाति काछी पता ग्रामी $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी बाबू खन्जू गुल्ला छिदामी हल्के तनय ग्या मु. कल्लोबाई वेवा गया जाति काछी पता ग्रामी $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी लम्पुआ तनय रमलां जा़ि काछी पता ग्रामी <br> $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी भू-राजस्ञ 2.62 | 1416 | 0.934 | 0.540 |
|  | योग- |  | 0.934 | 0.540 |
| 32 | लम्पुआ तनय रमला जाति काछी पता नि. ग्रामी $1 / 4$ भाग भूगि स्वामी वावू खन्जू गुल्ला छिदामी हल्के तनय ग्या मु. कल्लोबाई वेवा ग्या जाति काछी पता नि. ग्रामी $1 / 4$ भाग भूमि रामी नथुवा गुन्ठा नुन्नू विज्जू तनयू अर्जना जाति काछी ध्ता नि. ग्रामी $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी मु. सुनिया वेवा अर्जना जाति काछी पता नि. ग्रामी $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी मु. हरबाई पुत्री नन्ना जाति काछी पता नि. ग्रामी $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.88 | 1081 | 0.417 | 0.035 |
|  | योग- |  | 0.417 | 0.035 |
| 33 | भगवानदास कमलेश तनय ग्यैसी मु. जानकीवाई वेवा ग्यासी हि. $1 / 2$ चतरा तनय कडोरा जाति काछी पता fि.. ग्रामी $1 / 3$ भाग भूमि स्वामी हिरूआ चतरा तनय कडोरा जाति काछी पता नि. ग्रामी $1 / 3$ भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.88 | 1300 | 1.355 | 0.180 |
|  |  | 1305 | 0.53 | 0.315 |
|  |  | 1301 | 0.045 | 0.002 |
|  |  | 1304 | 0.336 | 0.210 |
|  | योग- |  | 2.266 | 0.707 |


| 34 | हरप्रसाद घनश्याम तनय खुमान जाति काछी पता ग्रामी $1 / 4$ भाग | 1310 | 0.142 | 0.008 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | भाग भूमि स्वामी मु. पिर्रू बेबा भूरा जाति काछी पता ग्रामी $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी दुरजू तनंय बोटा जाति काछी पता ग्रामी $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी ग्यासिया तनय बदरा जाति काछी पता ग्रामी $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी वंशी कडोरा तनय लम्पा जाति काछी पता ग्रामी $1 / 4$ भाग भूमि स्वामी | 1307 | 0.053 | 0.002 |
|  | योग- |  | 0.195 | 0.010 |
| 35 | सुकइया तनय रमोला हि. i/4 रामस्वरूप तनय हरदास हि. $1 / 4$ सदू तनय हरप्रसाद हि. $1 / 4$ मोहन धनीराम तनय घनश्याम हि. <br> $1 / 4$ जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.31 | 1306 | 0.417 | 0.030 |
|  | योग- |  | 0.417 | 0.030 |
| 36 | घनश्याम तनय खुमान रामस्वरूप सद्दू तनय हरप्रसाद चत्तू पु. हरप्रसाद कल्लू बेबा हरप्रसाद जाति काछी पता नि. ग्रामी $1 / 2$ भाग भूमि स्वामी सुकई तनय रंजोला जाति काछी पता नि. ग्रामी $1 / 2$ भाग भूमि स्वामी खुमान तनय कलपा जाति काछी पता नि. ग्रामी $1 / 2$ भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.00 | 1288 | 0.081 | 0.050 |
|  |  | 1292 | 0.101 | 0.075 |
|  |  | 1294 | 0.101 | 0.045 |
|  | योग- |  | 0.283 | 0.170 |
| 37 | करिया परसादी तनय भरोसा $1 / 2$ भागीरथ तनान परवता $1 / 4$ पलुवा तनय खुर्रा $1 / 4$ जाति काछी पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.06 | 1289 | 0.089 | 0.073 |
|  |  | 1293 | 0.198 | 0.095 |
|  | योग- |  | 0.287 | 0.168 |
| 38 | तुलसीदास नारायण तनय धनुवा मु० फुलिया बेवा धनुवा जाति लोधी पता नि. ग्रामी $1 / 6$ भाग भूमि स्वामी नथुवा, गन्ठा, नुन्नू बिज्जू तनय अर्जना जाति लोधी पता नि. ग्रागी $1 / 6$ भाग भूमि स्वामी नथुवा, गन्ठा, नुन्नू विज्जू तनय अर्जना जाति लोधी पता नि. ग्रामी $1 / 6$ भाग भूमि स्वामी मु. सुनिया बेवा अर्जना जाति लोधी पता नि. ग्रामी $1 / 6$ भाग भूमि स्वामी दुरजू लं बोटा जाति लोधी पता नि. ग्रामी $1 / 6$ भाग भूमि स्वामी घनश्याम त. खुमान रामस्वरूप, सद्दू त. हरप्रसाद, चतू पु. हरप्रसाद कल्लू वे. हरप्रसाद जाति लोधी पता नि. ग्रामी $1 / 6$ भाग भूमि: स्वामी सुकई त. रन्जोला जाति लोधी पता नि. ग्रामी $1 / 12$ भाग भूमि स्वामी भरोसा. हल्का, दरूआं त. दरूआ जाति लोधी पता तिi ग्रामी 2/9 भाग भूमि स्वामी मु. पिरूआ बेवा भूरा जाति लोधी चता नि. ग्रामी $1 / 6$ भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.69 | 1296 | 0.607 | 0.080 |
|  |  | 1291 | 0.024 | 0.004 |
|  | योग- |  | 0.631 | 0.084 |
| 39 | रामजी भूमि स्वामी | 1290 | 0.081 | 0.081 |
|  | योग- |  | 0.081 | 0.081 |
| 40 | धनुवा त. कमला जाति काछी पता नि. ग्रामी $1 / 2$ भाग भूमि स्वामी नथुवा, नन्नू बिज्जू त. अर्जना जाति काछी पता नि. ग्रामी $1 / 2$ भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.06 | 1287 | 0.182 | 0.006 |
|  |  | 1295 | 0.125 | 0.050 |
|  | योग- |  | 0.307 | 0.056 |



| 48 | शंकर, धनीराम, मोहन त. भरोसे जाति लोधी पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.81 | 1176 | 0.243 | 0.130 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 1180 | 0.202 | 0.040 |
|  |  | 1181 | 0.166 | 0.130 |
|  | योग- |  | 0.611 | 0.300 |
| 49 | शंकर धनीराम, मोहन त. भरोसे हि. $1 / 2$ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी आशाराम, काशीराम, सरजू, सीताराम तनय विन्दे जांति लोधी पता निवासी ग्राम $1 / 2$ भाग भूमि स्वामी भू-राजख्व 17.81 | 1158 | 1.485 | 0.394 |
|  | योग |  | 1.485 | 0.394 |
|  | कुल योग- |  | 55.832 | 16.638 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु।
(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण-टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री बानसुजारा नहर परियोजना बल्देवगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्र. 04-अ-82-2016-17
प्रकरण कर. $/ 04 /$ अ-82/2016-17 ग्राम रमपुरा चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना (सुक्ष्म सिंचाई पद्धति) बैलेंसिंग रिर्जवायर हेतू अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अवश्यकता है। अतः अनुसूचि में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के (सुक्ष्म सिंचाई पद्धति) बैलेंसिंग रिर्जवायर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभांग/उपक्रम म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नबम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लव भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए भोपाल दिनांक 12 नबम्बर 2014 की कांडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है की यदी उक्त संबंध मे किसी वयकति को भूमि आदि के स्वत्व के संबध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ठ करते हुयें आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी वल्द्येवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

1. परियोजना का नाम-बानसुजारा परियोजना नहर (सूक्ष्म सिंचाई पद्धति) निर्माण करने हेतू।
2. भूमि का विवरण :- ग्राम-रंमपुरा तहसील-खरगापुर जिला-टीकमगढ़

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 14.059 हेक्टेयर

## अनुसूचि

| ¢ $_{\text {\% }}$ | भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवासी स्थान | खसरा नंग | $\begin{gathered} \text { कुल } \\ \text { रकवा } \\ \text { हेक्ट.में } \end{gathered}$ | अर्जित <br> रकवा <br> हेक्ट.में |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 |
| 1. | राजाराम रमेश खचोरी तनय परसादी $1 / 6$ नाथूराम तनय मोहन हि. $1 / 6$ वालादीन हरचरन तनय प्यारेलाल हि. $1 / 3$ रामदयाल तनय हरदास हि. $10 / 54$ चूरामन मोतीलाल, रामप्रसाद छन्नू तनय हरदास हि. $8 / 54$ जाति लौधी पता निवासी ग्राम भूमि. ख्वामी | 968 | 2.205 | 0.004 |
|  | योग |  | 2.205 | 0.004 |


| 2 | सदेव, ग्यासी तनय भगुन्ता, नोनी, लाडवारी,ममताबाई, नत्थू कुसुम,नत्थु कुसुम पुन्री भुमनिया, उमदी,रामकली,भागवती पुत्री सिमला हि. $4 / 30$ मक्खन तनय बुद्दा हि. <br> $1 / 30$, ठलूआ,वलिया तनयं अच्छय हि. $1 / 6$ जयबाई पुत्री गुजखा हि. $1 / 9$ सरमनलाल तनय बल्देव हि. $1 / 8$ मक्खन बुद्दा, भुनिया वेवा बुद्दा,वालादीन कल्लू तनय प्रगी हि.1/2 दिनेश तनय ग्यासी ना. वा. देवेन्द्र,दीपचन्द तनय ग्यासीराजबाई वेवा ग्यासी जाति अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 1010 | 0.186 | 0.095 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 1011 | 0.287 | 0.015 |
|  |  | 1012 | 0.113 | 0.060 |
|  |  | 1013 | 0.040 | 0.040 |
|  |  | 1014 | 0.344 | 0.344 |
|  |  | 1015 | 0.085 | 0.085 |
|  |  | 1016 | 0.113 | 0.055 |
|  | योग |  | 1.168 | 0.694 |
| 3. | कडोरी,नारायणदास तनय सरमन जति लोधी ग्राम भूमि स्वामी | 1020 | 0.725 | 0.480 |
|  |  | 1049 | 0.336 | 0.336 |
|  | योग |  | 1.061 | 0.816 |
| 4. | सरमन तनय वल्देव जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 1021 | 0.376 | 0.376 |
|  |  | 1046/2 | 0.160 | 0.160 |
|  |  | 1055 | 0.388 | 0.101 |
|  | योग |  | 0.924 | 0.637 |
| 5. | मक्खन तनय बुद्दा, मु. मुनिया वेवा बुद्दा हि. $1 / 3$,वालादीन,लल्लू तनय प्रागी हि. $2 / 3$ जाति अहिरवार पता ग्राम निवासी भूमि स्वामी | 1023 | 0.028 | 0.028 |
|  | * योग |  | 0,028 | 0.028 |
| 6. | रामलखन तनय लटोरे जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमिं स्वामी | 1025 | 0.380 | 0.380 |
|  |  | 1026 | 0.393 | 0.393 |
|  |  | 1027 | 0.805 | 0.665 |
|  |  | 1043 | 1.104 | 1.060 |
|  |  | 1077 | 0.547 | 0.547 |
|  | योग |  | 3.229 | 3.045 |
| 7. | बाबूलाल.मुन्नालाल,लखनलाल तनय दयाराम हि. $67 / 184$ सुनील कुमार तनय परमलाल हि. $1 / 2$ मनीराम,राजाराम तनय भागीरथ हि. $25 / 184$ जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्मावी | 1032 | 0.749 | 0.025 |
|  | योग |  | 0.749 | 0.025 |
| 8. | रत्तू रगनाथ तनय दयाल,मु.भुवन बाई वेवा दयाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 1035 | 0.227 | 0.106 |
|  | योग |  | 0.227 | 0.106 |
| 9. | रघुनाथ तनय दयाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि रवामी | 1036 | 0.190 | 0.095 |
|  | योग |  | 0.190 | 0.095 |
| 10. | रतन,अंन्तराम तनय धर्मदास जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 1037 | 0.174 | 0.090 |
|  | - योग |  | 0.174 | 0.090 |
| 11. | घनश्यात उर्फ प्रभूदयाल तनय डिल्लीपत हि. 11,24 जाति लोधी बारेलाल तनय भरोसा हि. $1 / 4$, जाति बसोर बाबूलाल.मुन्नालाल,लखनलाल, तनय दयाराम हि. $1 / 8$, सुनीलकुमार तनय परमलाल हि. $1 / 8$ रिक्खू थोवन तंनय बहोरा हि. $1 / 24$ जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | 1038 | 0.421 | 0.368 |
|  |  | 1041 | 0.409 | 0.349 |
|  | योग |  | 0.830 | 0.717 |


| 14. | सरमन तनय रंजीता हि. $1 / 2$ धूराम छोटे तनय धांदू जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | 1039 | 0.198 | 0.080 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | योग |  | 0.198 | 0.080 |
| 13. | धनीराम,भुमानीदीन,जगदीश.देशराज तनय ज्ञानी जाति ब्राहमण पता नि.खुड़ो भूमि स्वामी | 1044 | 0.474 | 0.474 |
|  |  | 1052 | 0.287 | 0.287 |
|  |  | 1054 | 0.316 | . 0.256 |
|  |  | 1072 | 0.833 | 0.833 |
|  |  | 1075/1 | 1.158 | 1.158 |
|  |  | 1045 | 0.057 | 0.057 |
|  |  | 1046/1 | 0.107 | 0.107 |
|  | योग |  | 3.232 | 3.172 |
| 14. | रामप्रसाद तनय नन्ना,रतनलाल,अंन्तराम तनय धर्मदास नन्दू तनय रगवर जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्मावी | 1047 | 0.437 | 0.437 |
|  |  | 1048 | 0.182 | 0,182. |
|  |  | 1078 | 0.231 | 0.231 |
|  |  | 1079 | 0.283 | 0.101 |
|  | योग |  | 1.133 | 0.951 |
| 15. | नशू , सरमन तनय बल्देव हि. $1 / 3$ धनीराम,भुमानीदीन, जगदीश, देशराज तनय ज्ञानी हि. $2 / 3$ जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | 1050/1 | 0.040 | 0.040 |
|  |  | 1050/3 | 0.139 | 0.139 |
|  | योग |  | 0.179 | 0.179 |
| 16. | जसरथ तनय ठक्कू जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | 1050/2 | 0.193 | 0.193 |
|  |  | 1053 | 0.332 | 0.297 |
|  | योग |  | 0.525 | 0.490 |
| 17. | नथू सरमन तनय वल्देव हि. $1 / 4$, जसरथ तनय ठक्कू हि. $1 / 4$ जाति लेोधी धनीराम,भुमानीदीन,जगदीश, देशराज तनय ज्ञानी हि. $1 / 2$ जाति ब्रा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 1051 | 0.024 | 0.024 |
|  | योग |  | 0.024 | 0.024 |
| 18. | हरदास तनय खल्का हि. $1 / 2$ विहरिया,खुमना,बाबू तनय छत्ता हि. $3 / 10$, कल्लू तनंय छन्ता हि. $2 / 10$ पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | 1060 | 0.299 | 0.215 |
|  |  | 1066 | 0.073 | 0.043 |
|  |  | 1071 | 0.129 | 0.129 |
|  | योग |  | 0.501 | 0.387 |
| 19. | सरमन तनय रंजीता धूराम छोटे तनय धांदू हि. $1 / 2$ रतियां तनय गुमना हि. $1 / 2$ जाति चुमार नि. ग्राम भूमि स्वामी | 1061 | 0.117 | 0.117 |
|  |  | 1062 | 0.105 | 0:105 |
|  |  | 1067 | 0.061 | 0.061 |
|  |  | 1068 | 0.053 | 0.053 |
|  |  | 1069 | 0.065 | 0.065 |
|  | योग |  | 0.401 | 0.401 |


(2) सार्वर्जनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतू।
(3) भूति के नखशे एवं प्लान का निरीकक्षण-टीकमगढ़ अनूविभागीय अधिकारी (राजरच) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभागी खरगपुर में किया जा सकता है।

मध्यद्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

## :: प्रारंभिक अधिसूचना ::

(अन्तर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क.31) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम चोकी तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचिंत प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)
ग्राम- चोकी तहसील- घरमपुरी जिला धार

| क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली मूमि का कुल रकबा (हेक्टर) |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | सिंचित | असिंचित | कुल |
| 1. | ना!दा-धार-गुजरी मार्ग <br> (राजमार्ग क.31) के निर्माण मे <br> प्रभावित होने से | 1.574 | 0.530 | 2.104 |
|  | योग | 1.574 | 0.530 | 2.104 |

अनुसूची (2)
नागदा-धार-गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम चोकी तहसील धरमपुरी की प्रभावित भूमि का विवरण

| क. | कृषक का नाम व पिता/पति कानाम नाम | खसरा क्रमांक | भूमि का कुल रकबा |  |  | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर) |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | सिंचित | असिंचित | कुल | सिंचित | असिंचित | कुल |
| 1 | रमेश, कैलाश, गंगाबाई, लीलाबाई, रूकमणीबाई, मधुबाला, हेमलता, सरलाबाई पिता कन्हैयालाल, सीताबाई पति स्व. कन्हैयालाल जाति हरिजन निवासी ग्राम चोकी | 45/2 ख | 0.000 | 0.569 | 0.569 | 0.000 | 0.139 | 0.139 |
| 2 | राधाकृष्ण मन्दिर व्यवस्थापक कलेक्टर जिला धार | 74 | 0.000 | 0.051 | 0.051 | 0.000 | 0.006 | 0.006 |
|  |  | 109 | 0.657 | 0.000 | 0.657 | 0.266 | 0.000 | 0.266 |
|  |  | 111 | 0.936 | 0.000 | 0.936 | 0.006 | 0.000 | 0.006 |
| 3 | शांतिबाई पिता प्रेमसागर जाति भीलाला निवासी ग्राम चौंकी | 75 | 0.000 | 0.139 | 0.139 | 0.000 | 0.030 | 0.030 |
|  |  | 97 | 0.000 | 0.063 | 0.063 | 0.000 | 0.054 | 0.054 |


| 4 | किरण पति कन्नू जाति भीलाला निवासी ग्राम चि़्ट्टयावड़ | 78 | 2.213 | 0.000 | 2.213 | 0.544 | 0.000 | 0.544 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5 | रमेशचन्द्र, कैलाशचन्द्र पिता मानसिंह, दिप्तेश, दिक्षिका पिता बालाराम ना.बा.पा. कर्ता माता तुलसीबाई पति स्व. बालाराम जाति भील निवासी ग्राम चोकी | 89 | 0.000 | 0.455 | 0.455 | 0.000 | 0.126 | 0.126 |
|  |  | 90 | 1.505 | 0.000 | 1.505 | 0.468 | 0.000 | 0.468 . |
| 6 | श्याणीबाई पति स्व. मानसिंह जाति भील निवासी ग्राम भाण्डाखो | 92 | 0.000 | 0.126 | 0.126 | 0.000 | 0.089 | 0.089 |
| 7 | भूपेन्द्र पिता चैनसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम चोकी | 93/3 | 0.380 | 0.000 | 0.380 | 0.020 | 0.000 | 0.020 |
| 8 | जानकीबाई पति स्व. भगवानसिंह जाति पासी निवासी ग्राम चोकी | 96 | 0.000 | 0.038 | 0.038 | 0.000 | 0.006 | 0.006 |
| 9 | मूलचंद, कन्हैयालाल, रामलाल, बाबूलाल पिता नरसिंह जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम नालछा | 98 | 0.000 | 0.089 | 0.089 | 0.000 | 0.076 | 0.076 |
| 10 | निर्भयसिंह, कैलाश पिता मेहताबसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम चोकी | 110 | 0.000 | 0.051 | 0.051 | 0.000 | 0.004 | 0.004 |
| 11 | पवनकुमार पिता लालताप्रसाद निवासी ग्राम चोकी | 121/1 | 1.126 | 0.000 | 1.126 | 0.038 | 0.000 | 0.038 |
|  | मदन, रामचंद्र पिता ईश्वरदयाल, कन्हैयालाल, गोकुल, प्रसाद पिता इन्दोरीलाल, मदन, दुर्गा, नाबा. पिता आनंदीलाल, पालनकर्ता माता राधाबाई पति स्व, आनंदीलाल, जमनाबाई, कमलाबाई पिता इन्दोरीलाल सनिल, सनिताबाई, | 121/2 | 0.620 | 0.000 | 0.620 | 0.116 | 0.000 | 0.116 |
|  | सुनिल, लाखन, राजा, सुरज, राजुबाई, आरतीबाई पिता बाबुलाल, राम, जानकीबाई पति स्व. बाबुलाल जाति पासी निवासी ग्राम चोकी | 122 | 1.569 | 0.000 | 1.569 | 0.116 | 0.000 | 0.116 |
|  | योग :-- |  | 9.006 | 1.581 | 10.587 | 1.574 | 0.530 | 2.104 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार; श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवर्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क. 2013 सन्2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ की ग्राम-घोघड़िया कला के लिए डूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वयवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (फ.30 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे नं. $37 / 1$ रकबा 0.101 हेक्टेयर, सर्वे नं. 32 रकबा 0.177 हेक्टेयर एवं सर्वे नं. $4 / 3 / 1$ रकबा 1.265 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ती निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं।
-: अनुसूची :-
मोहनपुरा बृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान - ग्राम घोघड़िया कला

|  | कुल बन्दोबस्ती का विवरण (हेकटयर में) |  | कषक का नाम, पिता का नाम. जाती | भकान नम | अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग (मीटर में) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | आबादी के सर्वे नें | कुल रकबा |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  | रमेश पिता रामरतन जाति सौंधिया | 1 | 49.5 |
|  |  |  |  | 32 | 56.89 |
|  |  |  |  |  | 106.39 万 |
|  |  |  | मांगीलाल पिता मेहताव जाति सौंधिया | 2 | 48.75 |
|  |  |  |  | 31 | 56.89 |
|  |  |  |  |  | $105.64 \%$ |
| 3 |  |  | बलवंत सिंह पिता शिवनारायण जाति सौंधिया | 5 | 68.66 |
|  |  |  |  | 36/5 | 24.48 |
| 4 |  |  |  |  | 93.14 - |
|  |  |  | रामकरण पिता विजय सिंइ जाति सौंधिया | 6 | 44.10 |
|  |  |  |  | 36/4 | 29.64 |
|  |  |  |  |  | 73.74 * |
| 5 |  |  | श्याम पिता शिवनारायण जाति सौंधिया | 7 | 45.50 |
|  |  |  |  | 36/6 | 24.48 |
| 6 |  |  |  |  | 69.98 - |
| 6 |  |  | गायत्राबाई पिता वीरम सिंह जाति सौंधिया | 12 | 50.82 - |
| 7 |  |  | इंदर सिंह पिताजगन्नाथ जाति सौंधिया | 13 | 47.88 |
|  |  |  |  | 60/3 | 30.03 |
| 8 |  |  |  |  | 77.91 - |
|  |  |  | कमल सिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया | 14 | 14.00 |
|  |  |  |  | $35 / 2$ | 42.51 |
| 9 |  |  |  |  | 56.51 |
|  |  |  | दिलीप सिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया | 15 | 14.00 |
|  |  |  |  | 35/4 | 81.11 |
| 10 |  |  |  |  | $95.11 \longrightarrow$ |
|  |  |  | मानसिंह पिता अनार सिंह़ जाति सौंधिया | 18 | 58.96 |
|  |  |  |  | 64 | 21.70 |
| 11 |  |  |  |  | 80.66 - |
|  |  |  | सूरजससिंह पिता प्रेमलाल जाति सौंधिया | 21 | 25.50 " |
| 12 |  |  | वादाम बाई पत्नि भंवरलाल जाति हरिजन | 22 | 93.64 |
|  |  |  |  | 58 | 18.00 |
| 3 |  |  |  |  | 111.64 |
| 14 |  |  | दोल जी पिता वापूलाल जाति सौधिया | 24 | 58.50 |
|  |  |  | कवरलाल पिता बापूलाल जाति सौंधिया | 25 | 72.00 |
|  |  |  |  | 29/3 | 64.39 |
| 5 |  |  |  |  | 136.39 - |
| 6 |  |  | जुझारसेंह पिता करन संह जाति सीधिया | 27/1 | 143.11 - |
|  |  |  | सीमा बाई पत्नि जुझ़ार सिंह जाति सौधिया | $27 / 2$ | 64.67 ' |


|  | कुल बन्दोबस्ती का विवरण (हैक्टयर में) |  | कृषक का नाभ, पिता का नाम. जाति | मकान नम्बर | अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग (गीटर में) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | आबादी के सर्वे न. | कुल रकबा |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | प्रेम सिंह पिता बंशीलाल जाति सौंधिया | 28/1 | 101.89 |
|  |  |  | सूरज सिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया | 28/2 | 31.50 / |
|  |  |  | अगृत सिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया | 29/1 | 75.84 |
|  |  |  |  | 125/2 | 71.69 |
|  |  |  |  |  | 147.53 |
| 20 |  |  | कंचन बाई पत्नि बापूलाल जाति सौंधिया | 29/2 | 76.51 |
|  |  |  |  | 125/1 | 79.18 |
|  |  |  |  |  | 155.69 \% |
| 2 |  |  | सुंदर बाई पत्नि प्रेमसिंह जाति सौंधिया | 29/4 | 29.75 |
| 2 |  |  | रोडजी पिता मेहताव जाति सौंधिया | 30 | 56.89 |
| 23 |  |  | नारायण सिंह पिता राम सिंह जाति सौंधिया | 33/1 | 64.60 |
|  |  |  |  | 77/2 | 55.44 |
|  |  |  |  |  | $120.04 \ldots$ |
| 24 |  |  | महेन्द्र पिता नारायण सिंह जाति सौंधिया | 33/2 | 164.16 |
|  |  |  |  | 38/1 | 57.12 |
|  |  |  |  |  | 221.28 |
| 25 |  |  | देवसिंह पिता राम सिंह जाति सौंधिया | 34/1 | 72.57 |
|  |  |  |  | 73. | 108.78 |
|  |  |  |  |  | 181.35 \% |
| 26 |  |  | भगवान सिंह पिता देवसिंह जाति स़ौंधिया | 34/2 | 147.32 |
|  |  |  |  | 75/2 | 64.60 |
|  |  |  |  |  | 211.92 |
| 27 |  |  | गंगाराम पिता पूर जी जाति सौंधिया | 35/1 | 41.24 |
| 28 |  |  | पर्वत सिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया | 35/3 | 46.47 |
| 29 |  |  | विजय सिंह पिता पूर जी जाति सौंधिया | 36/1 | 108.13 - |
| 30 |  |  | शिवनारायण पिता पूर जी जाति सौंधिया | 36/2 | $108.13 /$ |
| 31 |  |  | कालू सिंह पिता विजय सिंह जाति सौंधिया | 36/3 | $29.64 \sim$ |
| 32 |  |  | रामबाबू पिता देवसिंह जाति सौंधिया | 37 | 156.56 |
|  |  |  |  | 75/1 | 64.60 |
|  |  |  |  |  | 221.16 - |
| 33 |  |  | अनीता पिता नारायण जाति सौंधिया | 38/2 | $57.12 \sim$ |
| 34 |  |  | बापूलाल पिता भूरू जी जाति सौंधिया | 39 | 238.39 |
| 35 |  |  | कलाबाई पत्नि बापूलाल जाति सौंधिया | 40 | $29.76 \sim$ |
| 36 |  |  | दुले सिंह पिता प्यार जी जाति सौंधिया | 41 | 45.34 ~ |
| 37 |  |  | वीरम सिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया | 42/1 | 126.38 |
|  |  |  |  | 43/1 | 57.83 |
|  |  |  |  |  | 184.21 |
| 38 |  |  | राजूबाई पल्लि वीरम सिंह जाति सौंधिया | 42/2 | 126.38 |
|  |  |  |  | 43/2 | 57.83 |
|  |  |  |  | 88/1 | 34.00 |
|  |  |  |  |  | 218.21 |
| 39 |  |  | देवी सिंह पिता वीरम सिंह जाति सौंधिया | 44 | 62.30 |
|  |  |  |  | 88/2 | 40.32 |
|  |  |  |  |  | 102.62 ¢ |
| 40 |  |  | भूरालाल पिता माधू जाति सौंधिया | 45 | 90.60 - |
| 41 |  |  | कालूराम पिता मानसिंह जाति भिलाला | 46 | 19.25 < |
| 42 |  |  | प्रेम सिंह पिता माधू जाति सौंधिया | 47 | 88.12 |
| 43 |  |  | कालसिंह पिता माधू जाति सौंधिया | 48 | 77.19 - |
| 44 |  |  | नवल सिंह पिता कालू सिंह जाति सौंधिया | 49 | 15.50 |
|  |  |  |  | 53/2 | 87.10 |
|  |  |  |  |  | 102.60 |
| 45 |  |  | वंशीलाल पिता माधू जाति सौंधिया | 50/1 | 110.01 |
| 46 |  |  | भूलीबाई पत्नि बंशीलाल जाति सौंधिया | 50/2 | 60.68 |
|  |  |  |  | 105/2 | 49.00 |
|  |  |  |  |  | 109.68 |


| स.क्र | कुल बन्दोबस्ती का विवरण (हेक्टयर गें) |  | कृषक का नाम, पिता का नाम, जाति | मकान नम्बर | अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग (मीटर में) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | आबादी के सर्वे नं | कुल रकबा |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ¢ |
| 47 |  |  | गोतीलाल पिता रामसिंह जाति सौंधिया | 51/1 | 117.98 |
| 48 |  |  | कमला बाई पत्नि मोतीलाल जाति सौंधिया | 51/2 | 91.25 |
| 49 |  |  | भारत सिंह पति मोतीलाल जाति सौंधिया | 51/3 | 143.40 ... |
| 50 |  |  | अंतरबाई पत्नि भारत सिंह जाति सौंधिया | 51/4 | 184.50 - |
| 51 |  |  | केशर बाई पत्नि भुवन सिंह जाति सौंधिया | 52/1 | 34.37 |
| 52 |  |  | सुरेन्द्र पिता भुवन सिंह जाति सौंधिया | 52/2 | 34.37 - |
| 53 |  |  | सौलद बाई पत्नि मुकेश जाति सौंधिया | 52/3 | 34.37 . |
| 54 |  |  | कमल सिंह पिता कालूसिंह जाति सौंधिया | 53/1 | 87.10 |
| 55 |  |  | इंदर सिंह पिता माधो जाति सौंधिया | 54/1 | 56.54 |
| 56 |  |  | रामेश्वर पिता इंदर सिंह जाति सौंधिया | 54/2 | 56.54 |
| 57 |  |  | जगदीश पिता इंदर सिंह जाति सौंधिया | 54/3 | 56.54 |
|  |  |  |  | 99 | 40.02 |
|  |  |  |  |  | 96.56 |
| 58 |  |  | माधो जी पिता अमर सिंह जाति सौंधिया | 54/4 | 56.54 |
| 59 |  |  | गोपीलाल पिता प्रेमससंह जाति सौंधिया | 55 | 70.11 |
| 60 |  |  | राधेश्याम पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया | 56 | 6.67 |
| 61 |  |  | भवरलाल पिता पूरजी जाति हरीजन | 57 | $73.10 \ldots$ |
| 62 |  |  | रूखमाबाई वेवा बलराज जाति हरीजन | 59 | $56.40 \ldots$ |
| 63 |  |  | वीरम सिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया | 60/1/1 | 27.39 - |
| 64 |  |  | गोकुल बाई पत्न वीरम सिंह जाति सौंधिया | 60/1/2 | 27.39 |
| 65 |  |  | जगन्नाथ पिता पूरजी जाति सौंधिया | 60/2 | 47.58 |
| 66 |  |  | गिरिराज पिता मांगीलाल जाति सौंधिया | 62 | 74.20 |
| 67 |  |  | दिनेश पिता बापूलाल जाति सौधिया | 68 | 29.60 |
| 68 |  |  | रामकला पति गंगाराम जाति सौधिया | 71 | 24.50 |
| 69 |  |  | काली बाई पत्नि देव सिंह जाति सौधिया | 74 | 115.60 . |
| 70 |  |  | गीताबाई पत्नि नारायण सिंह जाति सौंधिया | 76 | 65.45 |
| 71 |  |  | मनीषा बाई पिता नारायण सिंह जाति सौंधिया | 77/1 | 55.44 - |
| 72 |  |  | कौशल्या बाई पलिन देवी सिंह जाति सौंधिया | 82 | 54.72 |
|  |  |  |  | 90 | 40.20 |
|  |  |  |  |  | 94.92 . |
| 73 |  |  | बादाम बाई पत्नि घीसालाल जाति सौंधिया | 83 | 94.92 - |
| 74 |  |  | घीसालाल फिता बापूलाल जाति सौंधिया | 84 | 50.25 ~ |
| 75 |  |  | जगदीश पिता बापूलाल जाति सौंधिया | 85 | 81.74 |
| 76 |  |  | कौशल्या बाई पत्नि जगदीश जाति सौंधिया | 86/1 | 33.60 |
| 77 |  |  | जतनबाई पत्नि नारायण सिंह जांति सौंधिया | 86/2 | 33.60 - |
| 78 |  |  | दुलेसिंह पिता प्यार सिंह जाति सौंधिया | 87 | 64.68 - |
| 79 |  |  | छमाबाई पत्नि भूरालाल जाति सौंधिया | 105/1 | 96.60 ~* |
| 80 |  |  | कांता बाई पत्नि इंदर सिंह जाति सौंधिया | 98 | 54.51 / |
|  |  |  | कुल योग : |  | 6907.19 |
|  |  |  | कुल योग : |  | 0.6907 <br> हेक्टयर |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला-राजगढ़ के कार्यालय में
किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 11777-अ-82-2015-2016
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रैतिकंकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम टाण्डी के लिए डूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 281 रकबा 0.734 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।
-: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान :- ग्राम टाण्डी

| स.क. | आबादी का विवरण हे.में. |  | नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम | $\begin{aligned} & \text { मकान } \\ & \text { नम्बर } \end{aligned}$ | अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | आबादी के सर्वे नं. | कुल रकबा |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | 281 | 0.734 | घीसालाल पिता गोपीलाल, शिवलाल, महेश, नन्दू रोहित पिता घीसालाल जाति हरिजन | 1 | $95.540 /$ |
| 2 |  |  | कालूजी पिता गेंदाजी, सत्यनारायणे पिता कालूजी जाति हरिजन | 2 | 296.700 |
| 3 |  |  | जगदीश पिता मांगीलाल, नारायण बाई पिता मांगीलाल जांति हरिजन | 3 | $93.880 \%$ |
| 4 |  |  | पन्नालाल पिता धूलजी जाति हरिजन | 4 | 139.120r |
| 5 |  |  | कालूसिंह, भगवानसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया | 5 | 267.590r |
| 6 |  |  | बंशीलाल पिता भेरूसिंह जाति सौंधिया | 6 | 255.250 |
| 7 |  |  | बादाम बाई बेवा शिवनारायण जाति सेन | 7 | 172.370 |
| 8 |  |  | मांगीलाल पिता रामलाल, मनोहर पिता मांगीलाल जाति सेन | 8 (i) | 98.780 |
| 9 |  |  | कंवरलाल पिता मांगीलाल जाति सेन | 8 (ii) | $116.190^{\prime}$ |
| 10 |  |  | रामप्रसाद पिता मोतीलाल, रामीजीवन पिता रामप्रसाद जाति सेन | 9 | $125.480^{\prime}$ |
| 11 |  |  | कुमेर पिता गंगाराम जाति सौंधिया | 10 | $134.770^{\circ}$ |
| 12 |  |  | भंवरलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया | 11 | $219.290{ }^{\prime}$ |
| 13 |  |  | दशरथ सिंह पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया | 12 | $113.050^{\prime}$ |
| 14 |  |  | धनसिंह पिता विजयसिंह जाति सौंधिया | 13 | 118.580 |




| 91 | कुमेरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया | 65 | 142.300 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 92 | मांगीलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया | 66(i) | $26.400 \sim$ |
| 93 | जगदीश पिता अमरसिंह जाति सौंधिया | 66(ii) | $26.400 \%$ |
| 94 | कमलसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया | 66(iii) | 26.400 - |
| 95 | सर्जनसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया | 66(iv) | 26.400 |
| 96 | मोहनलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया | .66(v) | $26.400 \sim$ |
| 97 | गुलाबसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया | 67 | 66.740 |
| 98 | मांगीलाल पिता बिहारीलाल जाति बैरागी | 68 | 33.840 |
| 99 | कलाबाई पत्नि हजारीलाल, मुकेश पिता हजारीलाल जाति हरिजन | 69 | $94.710{ }^{\circ}$ |
| 100 | मांगीलाल पिता गोपीलाल जाति रौंधिया | 70 | 200.260 |
|  | योग :- |  | 12407.800 |
|  |  | या (हे. H ) | 1.241 |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 11778-अ-82-2015-2016
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम लक्ष्मणपुरा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वाएन और पुनर्य्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।
-: अनुसूची :
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम लक्ष्मणपुरा

| स.क़. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | रकबा | प्रभावित भूमि |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | कन्हैयालाल, पर्वतसिंह, रेशमबाई पिता देवीलाल मु.रोड़ीबाई बेवा देवीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी | $\begin{gathered} 235 / 3 / 1 \\ 98 / 1 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.035 \\ & 0.007 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.035 \\ & 0.007 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.042 - | 0.042 - |
| 2 | मोतीलाल पिता गिरधारी, बादामबाई बेवा गिर्धारी जाति लोड़ा निग्राम भू-र्वामी जatixixp, | 235/3/2 | 0.036 | 0.036 |
|  | - योग | 1 | 0.036 | 0.036 |
| 3 | गोपीलाल, चेनसिंह, गुलाबसिंह, गंगाराम, गोराबाई, सम्पतबाई, कंचीबाई पिता अमरा जाति लोड़ा नि.ग्राम गू-स्वामी | 73 | 0.228 | 0.228 |
|  | योग | 1 | 0.228 | 0.228 - |
| 4 | करणसिंह, गोपीलाल, मांगीलाल. प्रभूलाल, पांचूलाल पिता दोलजी. चेनसिंह, देवीसिंह पिता हजारी, गिरधारी, चंदा पिता घीसाल़ाल, अमरीबाई पिता ح बीसालाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी | 89 | 0.013 | 0.013 |
|  | योग | 1 | 0.013 | 0.013 - |
| 5 | गोपीलाल, गुलाबसिंह पिता अमरलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी | 234/1 | 0.328 | 0.328 |
|  | योग | 1 | 0.328 | 0.328 , |
| 6 | नन्द्वाई. तुलसीबाई, जड़ावबाई, लच्छीबाई पिता ईसर, गोरधन. बंशीलाल, मांगीलाल पिता ईसर जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी | 128 | 0.013 | 0.013 |
|  | योग | 1 | 0.013 / | 0.013 - |
| 7 | मांगीलाल पिता ईसर जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी | 136/1 - | 0.144 , | 0.144 厂 |
|  | योग | 1 | 0.144 | 0.144 - |



| स.क | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | रकबा | प्रभावित भूमि |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 14 | मोरसिंह पिता रामसिंह जाति तंवर नि.ग्राम भू-स्वामी | 211/2/2 | 0.284 | 0.284 |
|  |  | 212/2/2 | 0.095 | 0.095 |
|  | योग | 2 | 0.379 r | 0.379 |
| 15 | मोतीलाल, किशोर पिता गोपीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी | $\begin{aligned} & 224 / 5 / 2 \\ & 235 / 4 / 2 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.050 \\ & 0.183 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.050 \\ & 0.183 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.233 - | 0.233 r |
| 16 | करणसिंह पिता दौलजी जाति लोड़ा नि. ग्राम | $\begin{gathered} 229 / 3 / 1 \\ 225 / 4 / 1 / 1 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.027 \\ & 0.015 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.027 \\ & 0.015 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.042 , | 0.042 , |
| 17 | मांगीलाल पित़ा दौलजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी | 244/3/1/3 | 0.037 | 0.037 |
|  | योग | 1 | 0.037 | 0.037 , |
| 18 | भंवरीबाई बेवा मांगीलाल, रामप्रसाद, ईन्दरसिह, धीरपसिंह पिता मांगीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राभ भू-स्वाभी | 233 | 0.797 | 0.297 |
|  | योग | 1 | 0.797 | 0.297 / |
| 19 | गंभाराम पिता अमरसिंह, गोरधनसिंह पिता चेनसिंह जाति लोड़ा निग्राम भू-स्वामी | 234/2 | 0.327 | 0.327 |
|  | योग | 1 | 0.327 / | 0.327 - |
| 20 | सज्जनबाई पति रामनारायण जाति तंवर नि.ग्राम भू-स्वागी | 235/1 | 0.772 | 0.700 |
|  | योग | 1 | 0.772 - | 0.700 \% |
| 21 | बद्रीलाल, बापूलाल, मोड़सिंह पिता रामसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम यू-स्वामी | 225/3/4 | 0.063 | 0.063 |
|  | योग | 1 | 0.063 r | 0.063 |
| 22 | बंशीलाल पिता ईसर जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी | 192/1 | 0.063 | 0.063 |
|  | योग | 1 | 0.063 / | 0.063 ' |
| 23 | मोरसिंह पिता काशीराम, नौरंगबाई पिता काशीराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी | 202/4 | 0.044 | 0.044 |
|  | योग | 1 | 0.044 / | 0.044 - |
| 24 | गोर्धन, बंशीलाल, मांगीलाल पिता ईसर, नन्दूबाई तुलसीबाई, जड़ावबाई, लच्छीबाई पुत्री ईसर जाति लोड़ा नि.याम भू-स्वामी | 274/2/4 | 0.307 | 0.307 |
|  | योग | 1 | 0.307 ' | 0.307 |
| 25 | करणसिंह पिता दोलजी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी | 220/1/1 | 0.048 | 0.048 |
|  | योग | 1 | 0.048 | 0.048 r |
| 26 | भागचन्द पिता रामलाल, भंवरीबाई, कमलीबाई, रेशमबांई पिता रामलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी | 226/2 | 0.288 | 0.288 |
|  | योग | 1 | 0.288 / | 0.288 / |
| 27 | चेनसिंह पिता हजारी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी | 230/1/1 | 0.101 | 0.101 |
|  | योग | 1 | 0.101 | $0.101 /$ |
| 28 | नाथू पिता प्यारा जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी | 231/5 | 0.404 | 0.404 |
|  | योग जिए nertr. | 1 | $0.404{ }^{\prime}$ | 0.404 - |
|  | कुलयोग :- | 45 | 12.707 | 10.099 |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 11779-अ-82-2016-2017
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम रायपुरिया घाटा के लिए डूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबांदी की भूमि सर्वे न. 216 रकबा 0.076 हेक्टेयर, 232 रकबा 0.025 हेक्टेयर, 257 रकबा 0.911 हेक्टेयर, 219 रकबा 1.896 हेक्टेयर एवं 220 रकबा 0.038 हेक्टेयर र्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।
-: अनुसूंची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान :- ग्राम रायपुरिया घाटा


| 18 |  | लोकेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत | 7/6 | 26.910 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 19 |  | रघुवीरसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत | 8/1 | 41.620 |
| 20 |  | मुकेश पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत | 8/2 | 12.180 |
| 21 |  | राजेन्द्रसिंह पिता रघुवीरसिंह जांति राजपूत | 8/3 | 12.800 |
| 22 |  | जसरथसिंह पिता उदयसिंह जाति राजपूत | 8/4 | 14.400 |
| 23 |  | नरेन्द्रसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत | 8/5 | 22.040 |
| 24 |  | ऐलकारसिंह पिता उदयसिंह जाति राजपूत | 8/6 | 27.720 |
| 25 |  | भारतसिंह पिंता सजनसिंह जाति राजपूत | 9/1 | 41.230 |
| 26 |  | कैलाशसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत | 9/2 | 43.440 |
| 27 |  | गोपालकुवरं पिता भारतसिंह जाति राजपूत | $9 / 3$ | 64.000 |
| 28 |  | तंवरलाल पिता हरिनारायनसिंह जाति राजपूत | 10/1 | 67.640 |
| 29 |  | विपेन्द्रसिंह पितां हरिनारायनसिंह जाति राजपूत | 10/2 | 54.760 |
| 30 |  | हरिनारायनसिंह पिता सैतानसिंह जाति राजपूत | 10/3 | 254.640 |
| 31 |  | ज्ञानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत | 11/1 | 107.950 |
| 32 |  | देवेन्द्रसिंह पिता ज्ञानसिंह जाति राजपूत | 11/2 | 6.510 |
| 33 |  | भंवरसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत | 12/1 | 28.800 |
| 34 |  | राजेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह जाति रराजपूत | 12/2 | 21.600 |
| 35 |  | कैलाश पिता शंभ्भूसिंह जाति राजपूत | 13/1 | 52.250 |
| 36 |  | प्रेमकुवरं पति शम्भूसिंह जाति राजपूत | 13/2 | 87.250 |
| 37 |  | रेखांकुंवर पिता कैलाशसिंह जाति राजपूत | 13/3 | 20.400 |
| 38 |  | भंवरलाल पिता शम्भूसिंह जाति राजपूत | 14 | 91.940 |
| 39 |  | तंवरलाल पिता भंवरलाल जाति राजपूत | 15/1 | 74.730 |
| 40 |  | कमलसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत | 15/2 | 74.730 |
| 41 |  | बनेसिंह पिता पररथीसिंह जाति राजपूत | 16/1 | 47.950 |
| 42 |  | नन्दलाल पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत | 17/1 | 83.160 |
| 43. |  | चन्दरसिंह पिता लक्ष्मणंसिंह जाति राजंपूत | 17/2 | 46.750 |
| 44 |  | अजयसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत | 18 | 87.180 |
| 45 |  | कैलाशसिंह पिता शम्भूसिंह जाति राजपूत | 19/1 | 67.080 |
| 46 |  | सन्तोषकुवर पति कैलाशसिंह जाति राजपूत | 19/2 | 67.080 |
| 47 |  | रांनी पिता कैलाशसिंह जाति राजपूत | 19/3 | 67.080 |
| 48 |  | विक्रमसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत | 20/1 | 42.880 |
| 49 |  | धापुबाई पति ऐलकारसिंह जाति राजपूत | 20/2 | 10.560 |
| 50 |  | मेहरबानसिंह पिता सुल्तानसिंह जाति राजपूत | 21/1 | 30.200 |
| 51 |  | शिशुपाल पिता मेहरबानसिंह जाति राजपूत | 21/2 | 28.480 |





| 147 |  |  | मनीषाकुवंर पति वीरेन्द्रसिंह जाति राजपूत | 61/1 | 28.580 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 148 |  |  | प्रेमसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति राजपूत | 61/2 | 53.990 |
| 149 |  |  | वीरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत | 61/3 | 53.990 |
| 150 |  |  | कृष्णपालसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत | 67/1 | 65.670 |
| 151 |  |  | भेरूसिंह पिता पदगसिंह जाति राजपूत | 67/2 | 51.390 |
| 152 |  |  | केदारकुवर पति पदमसिंह जाति राजपूत | 67/3 | 64.640 |
| 153 |  |  | कैलाशसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत | 68/1 | 75.640 |
| 154 |  |  | गुडडीबाई पति कैलाशसिंह जाति राजपूत | 68/2 | 23.790 |
| 155 |  |  | रेशमबाई पति सजनसिंह जाति राजपूत | 68/3 | 56.260 |
| 156 |  |  | चरणसिंह पिता कैलाशसिंह जाति राजपूत | 68/4 | 51.300 |
| 157 |  |  | कृष्णपाल पिता श्री गजराजसिंह जाति राजपूत | 69 | 77.400 |
| 158 |  |  | दुलेसिंह पिंता विजयसिंह जाति राजपूत | 70/1 | 82.500 |
| 159 |  |  | भंवरलाल पिता दुलेखिंह जाति राजपूत | 70/2 | 77.290 |
| 160 |  |  | भारतसिंह पिता दुलेसिंह जाति राजपूत | 70/3 | 76.970 |
| 161 |  |  | लाखनसिंह पिता दुलेखिंह जाति राजपूत | 70/4 | 76.390 |
| 162 |  |  | झुमाकुवंर बेवा विजयसिंह ज़ाति राजपूत | 70/5 | 43.340 |
| 163 |  |  | विष्णुकुवंर बेवा प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत | 71/1 | 81.590 |
| 164 |  |  | सन्तोषकुवंर बेवा भोनीसिंह जाति राजपूत | 71/2 | 81.590 |
| 165 |  |  | दीपसिंह पिता निर्भयसिंह जाति राजपूत | 72 | 126.530 |
| 166 |  |  | गोविन्दसिंह पिता निर्भयसिंह जाति राजपूत | 73/1 | 23.280 |
| 167 |  |  | भंवरलाल पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत | 73/2 | 21.100 |
| 168 |  |  | दयालसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत | 73/3 | 21.100 |
| 169 |  |  | विष्णुकुवंर पति तंवरलाल जाति राजपूत | 74 | 44.080 |
| 170 |  |  | तंवरलाल पिता भंवरलाल जाति राजपूत | 75 | 126.710 |
| 171 |  |  | भीमसिंह पिता रूपसिंह जाति रांजपूत | 76/1 | 61.880 |
| 172 |  |  | नेपालसिंह पिता भीभसिंह जाति राजपूत | 76/2 | 43.390 |
| 173 |  |  | कमलसिंह पिता भीमसिंह जाति राजपूत | 76/3 | 39.590 |
| 174 |  |  | भंवरलाल पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत | 77 | 53.000 |
| 175 |  |  | मनोहरसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत | 78/1 | 64.700 |



भूमि के नव्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।
पत्र क्रमांक 11822-भू-अर्जन-20.17

## अनुसूची-1 का प्रकाशन

क्र. 2112-री-1-भू-अर्जन-2015-प्र. क्र. 01-अ-82-14-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) के पद में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। आतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर रिथत भूमि के अर्जन की आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)
(1) भूमि का वर्णन -
(क) जिला - राजगढ़
(ख) तहसील - ब्यावरा
(ग) ग्राम - टोंका एवं नेठठठारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - ग्राम टोंका, नेठाठारी

स.
क्र.

विवरण


अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हिक्ट. नें)

|  |  |  | सिचित | असिंचित | कुल |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\mathbf{1}$ | $\mathbf{2}$ |  | $\mathbf{3}$ | $\mathbf{4}$ | $\mathbf{5}$ |
| 1. निजि भूमि | टोंका | 6.865 | 0.362 | 7.227 |  |
| 2. निजि भूमि | नेठाठारी | 0.220 | - | 0.220 |  |
|  | कुल योग | $\mathbf{7 . 0 8 5}$ | $\mathbf{0 . 3 6 2}$ | $\mathbf{7 . 4 4 7}$ |  |

अनुसूची (2)
टोंका तालाब योजना में आने वाली निजि भूमि का विवरण (पूरक प्रकरण)

| स. | प्रभावित कृषक का नाम | $\begin{aligned} & \text { सर्वे } \\ & \text { नम्बर } \end{aligned}$ | कुल भूमि <br> का रकबा | प्रभावित भूमि |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| क्र. |  |  |  | सिंचित | असिंचित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | राम चन्द्र पिता कनीराम जाति लोदा, ग्राम टोंका | 339 , | 0.152 , | 0.010 | 0.049 | 0.059 |
| 2. | प्रेमसिंह पिता भागमल, जाति लोदा, ग्राम टोंका | 249/385 | 1.378 | 0.328, | -. | 0.328 |
| 3 | जालम पिता कन्हैयालाल, जाति भील, | $110 / 19$ | 0.800 | 0.670 | - | 0.670 |


| $\begin{aligned} & \text { स. } \\ & \text { क्र. } \end{aligned}$ | प्रभावित कृषक का नाम | सर्वे <br> नम्बर | कुल भूमि का रकबा | प्रभावित भूमि |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | सिंचित | असिंचित | कुल |
|  | ग्राम टोंका |  |  |  |  |  |
| 4 | मिश्रीलाल पिता देवीराम, जाति लौदा, ग्राम टोंका | 181/2/1. | 0.133 | 0.043 | - | 0.043 |
| 5 | रोड़िया पिता शंकर, जाति लौदा, ग्राम टोंका | 183/5 | 0.111 | 0.111 | - | 0.111 |
| 6 | बृजराज सिंह पिता केशर सिंह, जाति राजपूत, ग्राम टोंका | 191/3/1 | 0.210 | 0.210 | - | 0.210 |
|  |  | 193/1 | 0.595 | 0.200 | - | 0.200 |
|  |  | 191/2, | 0.443 | 0.200 | - | 0.200 |
|  |  | 3 |  | 0.610 | - | $0.610^{-}$ |
| 7 | फ्तेसिंह पिता केशर सिंह, जाति राजपूत, ग्राम टोंका | 191/3/2 | 0.309 | 0.309 | - | 0.309 |
|  |  | 192/1 | 0.949 | 0.080 | - | 0.080 |
|  |  | 2 |  | 0.389 |  | 0.389 , |
| 8 | खेमा पिता देवीराम, जाति लौदा, ग्राम टोंका | 183/2 | 0.111 | 0.111 | - | ${ }^{0.111}$; |
| 9 | गोविन्दराम पिता रूघनाथ, जाति लौदा, ग्राम टोंका | 183/4/2 | 0.055 | 0.055 | - | 0.055 . |
|  |  | 226/2/2. | 0.854 | 0.400 | - | 0.400 |
|  |  | 2 |  | 0.455 | - | 0.455 |
| 10 | कन्हैयालाल पिता रुघनाथ, जाति लौदा, ग्राम टोंका | 183/4/1 | 0.056 | 0.056 | - | 0.056 |
|  |  | 226/2/1 | 0.854 | 0.400 | - | 0.400 , |
|  |  | 2 |  | 0.456 | - | 0.456 |
| 11 | रामकुंवर बाई बेवा हरिकिशन, जाति राजपूत, ग्राम टोंका | 181/1/1 | 0.253 | 0.253, | - | 0.253 |
| 12 | हरिसिहं पिता दुर्गा लाल, पुनी बाई, मेवा बाई, सुगन बाई पुत्री दुर्गालाल, जाति लोदा, ग्राम टोंका | 254 | 1.063 | 0.019 | - | 0.019 |
| 13 | मांगीलाल पिता रामा जाति लोदा | 249/1 | 0.369 | 0.369 | - | 0.369 |
| 14 | शिवराज सिंह पिता कल्याण सिंह, जाति राजपूत, ग्राम टोंका | 253/1. | 0.531 | 0.125 | - | 0.125 |
| 15 | नन्द कुंवर वेवा भोनी सिंह, जाति राजपूत, ग्राम टोंका | 25.5/1/2 | 0.253 | 0.125 | - | 0.125 |


| स. | प्रभावित कृषक का नाम | सर्वे नम्बर | कुल भूमि <br> का रकबा | प्रभावित भूमि |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| क्र. |  |  |  | सिंचित | असिंचित | कुल |
| 16 | छोटेलाल पिता देवीराम, जाति लोदा, ग्राम टोंका | 181/2/2 | 0.133 | 0.045 | - | 0.045 |
| 17 | हजारीलाल पिता भंवरजी, जाति लोदा, ग्राम टोंका | 252/3 | 0.560 | 0.090 . | - | 0.090 |
| 18 | तेजपाल सिंह, विश्वनाथ सिंह पिता गजेन्द्रसिंह, पेप कुंवर बेवा गजेन्द्रसिहं, जाति राजपूत, ग्राम टोंका | 246/1 | 1.429 | 0.200 | - | 0.200 |
| 19 | उच्चप कुंवर पति प्रभुनाथ सिंह, जाति राजपूत, ग्राम टोंका | 189 | 0.063 | - | 0.063 | 0.063 |
| 20 | रामसिंह, नाथूलाल पिता प्रभुलाल, जानकीबाई पति ख. प्रभुलाल जाति लोधा नि.ग्रा. टोंका | 183/3 | 0.111 | 0.111 | - | 0.111 |
|  |  | 196/2 | 0.867 | 0.867 | - | 0.867 - |
|  |  | 2 |  | 0.978 |  | 0.978 |
| 21 | सुरेश पिता पन्जालाल, जाति लौदा, ग्राम टोंका | 191/1/3 | 0.210 | 0.026 | - | 0.026 |
| 22 | गुलाब बाई पति जगन्नाथ, जाति लोदा, ग्राम टोंका | 227/1 | 0.399 | 0.013 | - | 0.013 |
| 23 | रेशम बाई पुत्री गोदिया, जाति चमार, | 9/8 | 1.012 | 0.140 | - | 0.140 |
| 24 | सोनी बाई पति मिश्रीलाल, जाति लोदा, ग्राम टोंका | 18/3 | 0.530 | 0.026 | - | 0.026 |
| 25 | राय स्संह पिता गोविंदराम, जाति चमार, ग्राम टोंका | 100/2/1 | 0.495 | 0.008 | - | 0.008 |
| 26 | जालम सिंह, देवराज सिंह, नेपाल सिंह, सोनाथ सिहं पिता भीम सिंह, हेम कुंवर वेबा भीम सिंह जाति राजपूत, ग्राम टोंका | 341/1/3 | 0.269 | 0.079 | - | 0.079 |
| 27 | हरिकिशन/अंवरजी जाति लोदा | 252/2 | 0.560 | 0.020 | - | 0.020 |
| 28 | नारायण कुंवर पति शैतान सिंह जाति राजपूत, नि. ग्रा. टोंका | 255/1/1 | 0.253 | 0.253 | - | 0.253 |
| 29 | कमल सिंह पिता शैतानसिंह जाति राजपूत, ग्राम टोंका | 220/1/1 | 0,916 | 0.094 | - | 0.094 |
| 30 | जशवन्त सिंह पिता भोनीसिंह जाति राजूपत, नि.ग्रा. - टोंका | 220/1/2 | 0.917 | 0.094 | - | 0.094 |
| 31 | भूरी बाई पत्नि राम स्वरूप जाति लोदा नि.ग्रा. भू.स्वामी | 192/2/2 | 0.290 | 0.048 | - | 0.048 |


| स. <br> क्र. | प्रभावित कृषक का नाम | सर्वे <br> नम्बर | कुल भूमि <br> का रकबा | प्रभावित भूमि |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | सिंचित | असिंचित | कुल |
| 32 | नंदजी पिता पन्नालाल जाति चमार नि.ग्रा. टोंका | $\begin{gathered} 110 / 7 / 2 / \\ 1 \end{gathered}$ | 0.348 | 0.014 | - | $0.014$ |
| 33 | कैलाश पिता रोड़जी जाति लोधा ग्राम टोंका | $\begin{gathered} 110 / 7 / 2 / \\ 2 \end{gathered}$ | 0.063 , | 0.036 | - | 0.036 |
| 34 | शिवलाल / गोपीलाल जाति लोधा नि. ग्रा. टोंका <br> नानी पिता गोपीलाल | $110 / 8 / 2$ | $0.759$ | 0.008 | - | 0.008 |
| 35 | रबूदी बाई पति छोटेलाल लोधा नि.ग्रा. टोंका | 9/4/1 | 0.569 | 0.008 | - | 0.008 |
| 36 | रामचरण पिता ग्यारस्या जाति लोदा | 196/1/1 | 0.062 | 0.062 | - | 0.062 |
|  |  | 205/2 | 0.148 | 0.148 | - | 0.148 |
|  |  | 2 |  | 0.210 | - | 0.210 |
| 37 | बुधराम पिता ग्यारस्या जाति लोदा | 196/1/2 | 0.062 | 0.062 | - | 0.062 |
|  |  | 205/1 | 0.149 | 0.149 | - | 0.149 |
|  |  | 2 |  | 0.211 | - | 0.211 |
| 38 | भारत पिता पन्नालाल जाति लोदा | 225/1/1 | 0.190 | 0.190 | - | 0.190 |
| 39 | सावित्री बाई पति हरिदास बैरागी | 226/1 | 1.103 | - | 0.250 | 0.250 |
|  | योग |  |  | 6.865 | 0.362 | 7.227 |

ग्राम - नेठाठारी तहसील - ब्यावरा जिला राजगढ़

| 1 | रणवीरसिंह पिता अमरसिंह जाति राजपूत <br> ग्राम - नेठाठारी | $149 / 1 / 3$ | 1.116 | 0.220 | - | 0.220 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| योग |  |  | 0.220 | - | $\mathbf{0 . 2 2 0}$ |  |
| कुल योग |  |  | $\mathbf{7 . 0 8 5}$ | $\mathbf{0 . 3 6 2}$ | $\mathbf{7 . 4 4 7}$ |  |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवयकता है - टोंका तालाब योजना के नहर एवं डूब क्षेत्र के लिये भूमि का अर्जन।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड ब्यावरा के न्यायालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 11823/17-2-17

## प्रकरण क्रमांक 13-अ-82-2016-2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्गाम नेशबोरदा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।
-: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम नेशबोरदा

| स.क़. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | कुल रकबा | प्रभावित रकबा |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | नन्दनसिंह; मोतीलाल, देवसिंह, रामनारायण पिता रामसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम गोगड़िया | 22/1 | 0.380 | 0.380 |
|  | योग | 1 | 0.380 | 0.380 |
| 2 | प्रेमसिंह पिता माधूरिंह जाति सौधिया नि.ग्रांम घोघडिया स्वामी | 22/2 | 0.379 | 0.379 |
|  | योग | 1 | 0.379 | 0.379 |
| 3 | कालूसिंह पिता रामसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी | $\begin{aligned} & 24 / 5 \\ & 29 / 5 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.379 \\ & 2.782 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.379 \\ & 2.782 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 3.161 | 3.161 |
| 4 | मुकेश कुमार पिता बलवंतसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी | 29/3/2 | 0.927 | 0.927 |
|  | योग | 1 | 0.927 | 0.927 |
| 5 | हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी | $\begin{gathered} \hline 2 / 3 \\ 9 / 3 \\ 11 / 3 \\ 29 / 1 / 13 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.054 \\ & 0.054 \\ & 0.060 \\ & 0.363 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.054 \\ & 0.054 \\ & 0.060 \\ & 0.363 \end{aligned}$ |
|  | योग | 4 | 0.531 | 0.531 |
| 6 | रामरतन पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी | $\begin{gathered} 2 / 4 \\ 9 / 4 \\ 10 / 4 \\ 11 / 4 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.054 \\ & 0.055 \\ & 0.028 \\ & 0.059 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.054 \\ & 0.055 \\ & 0.028 \\ & 0.059 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 4 | 0.196 | 0.196 |
| 7 | कृष्णबल्लभ पिता प्यारेलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी | $2 / 5$ <br> $9 / 5$ <br> $10 / 5$ <br> $11 / 5$ <br> $29 / 1 / 18$ | 0.055 0.054 0.029 0.059 0.365 | $\begin{aligned} & \hline 0.055 \\ & 0.054 \\ & 0.029 \\ & 0.059 \\ & 0.365 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 5 | 0.562 | 0.562 |
| 8 | नारानसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम गू-स्वामी | $\begin{gathered} \hline \hline 2 / 6 \\ 9 / 6 \\ 10 / 6 \\ 11 / 6 \\ 29 / 1 / 12 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.055 \\ & 0.055 \\ & 0.029 \\ & 0.059 \\ & 0.364 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.055 \\ & 0.055 \\ & 0.029 \\ & 0.059 \\ & 0.364 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 5 | 0.562 | 0.562 |
| 9 | विजयसिंह पिता करणसिंह, धूलीबाई बेवा करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी | $\begin{gathered} 2 / 7 \\ 9 / 7 \\ 10 / 7 \\ 11 / 7 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.072 \\ & 0.072 \\ & 0.038 \\ & 0.079 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.072 \\ & 0.072 \\ & 0.038 \\ & 0.079 \end{aligned}$ |
|  | योग | 4 | 0.261 | 0.261 |


| 10 | सजनसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी | $\begin{gathered} \hline 2 / 8 / 1 \\ 9 / 8 / 1 \\ 10 / 8 / 1 \\ 11 / 8 / 1 \\ 29 / 1 / 9 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.024 \\ & 0.024 \\ & 0.013 \\ & 0.026 \\ & 0.162 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.024 \\ & 0.024 \\ & 0.013 \\ & 0.026 \\ & 0.162 \\ & \hline \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | योग | 5 | 0.249 | 0.249 |
| 11 | जगदीश पिता दोलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी | $\begin{gathered} \hline 2 / 8 / 2 \\ 9 / 8 / 2 \\ 10 / 8 / 2 \\ 11 / 8 / 2 \\ 29 / 1 / 10 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.025 \\ & 0.024 \\ & 0.013 \\ & 0.026 \\ & 0.162 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.025 \\ & 0.024 \\ & 0.013 \\ & 0.026 \\ & 0.162 \end{aligned}$ |
|  | योग | 5 | 0.250 | 0.250 |
| 12 | प्रतापसिंह पिता दोलजी, लीलाबाई विधवा दोलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी | $2 / 8 / 3$ $9 / 8 / 3$ $10 / 8 / 3$ $11 / 8 / 3$ $29 / 1 / 11$ | $\begin{aligned} & 0.024 \\ & 0.025 \\ & 0.012 \\ & 0.027 \\ & 0.163 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.024 \\ & 0.025 \\ & 0.012 \\ & 0.027 \\ & 0.163 \end{aligned}$ |
|  | योग | 5 | 0.251 | 0.251 |
| 13 | बलवंतसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी | $\begin{gathered} 2 / 9 \\ 9 / 9 \\ 10 / 9 \\ 11 / 9 \\ 29 / 1 / 8 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.073 \\ & 0.073 \\ & 0.038 \\ & 0.079 \\ & 0.484 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.073 \\ & 0.073 \\ & 0.038 \\ & 0.079 \\ & 0.290 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 5 | 0.747 | 0.553 |
| 14 | सतीश ना.बा.पिता चन्दरसिंह, अवन्ताबाई राखी, पूजा ए काली ना.बा. पुर्ती चन्दरसिंह सर.माता ललताबाई वैवा चन्दरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी | 29/1/17 | 0.090 | 0.090 |
|  | योग | 1 | 0.090 | 0.090 |
| 15 | कमलसिंह पिता रामरतन, रामकलाबाई पुत्री रामरतन जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-र्वामी | 29/1/16 | 0.090 | 0.090 |
|  | योग | 1 | 0.090 | 0.090 |
| 16 | यादवसिंह पिता रामरतन जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी | 29/1/15 | 0.091 | 0.091 |
|  | योग | 1 | 0.091 | 0.091 |
| 17 | पृथ्वीरिंह पिता रामरतन जातिसौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी | 29/1/14 | 0.091 | 0.091 |
|  | योग | 1 | 0.091 | 0.091 |
| 18 | कैलाशबाई, मनोहरताई, सुशीलाबाई, पवित्राबाई पिता प्यारेलाल, भंजरीवाई बेवा प्यारेलाल जाति सौंधिया निय्राम भू-स्वामी | 25/1/4 | 0.354 | 0.354 |
|  | योग | 1 | 0.354 | 0.354 |
|  | कुलयोग :- | 52 | 9.172 | 8.978 |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 11831/20-2-17

कमांक /भू-अर्जन / 2015 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक /अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम नलखेड़ा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूंमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अत: भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

$$
\text { -: अनुसूची ( } 1 \text { ) :- }
$$

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम नलखेड़ा

| स.क. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्ट्टयर |
| :---: | :---: | :---: |
| $(1)$ | $(2)$ | $(3)$ |
| 1 | नलखेड़ा | 12.606 |

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम नलखेड़ा

| स.क. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | रकबा | प्रभावित भूमि |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | करणसिंह पिका किशनलाल लोड़ा | $\begin{aligned} & \hline 195 / 1 \\ & 195 / 2 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 2.238 \\ & 4.047 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 2.238 \\ & 4.047 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 6.285 | 6.285 |
| 2 | रामबगस, गंगाराम, रतन पिता देवा जाति लोड़ा | 145/3/2 | 0.285 | 0.285 |
|  | योग | 1 | 0.285 | 0.285 |
| 3 | रतनसिंह पिता रामसिंह लोड़ा | 19/4 | 2.529 | 0.506 |
|  | योग | 1 | 2.529 | 0.506 |
| 4 | करणसिंह, ब\|पूलाल पिता किशनलाल, बनेसिंह, कालू पिता भीमा | $\begin{gathered} 35 / 4 \\ 180 \\ 181 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.012 \\ & 0.025 \\ & 0.013 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.012 \\ & 0.025 \\ & 0.013 \end{aligned}$ |
|  | योग | 3 | 0.050 | 0.050 |
| 5 | रामचन्दर पिका मन्ना जाति लोड़ा | $\begin{gathered} 38 / 2 \\ 143 / 3 \\ 176 / 3 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.050 \\ & 0.303 \\ & 0.511 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.050 \\ & 0.303 \\ & 0.511 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | दोग | 3 | 0.864 | 0.864 |
| 6 | हीरा पिता खीमा जाति लोड़ा | 89 | 0.013 | 0.013 |
|  | योग | 1 | 0.013 | 0.013 |
| 7 | राधेश्याम पिसा चैनसिंह लोड़ा | 143/2 | 0.304 | 0.304 |
|  | योग | 1 | 0.304 | 0.304 |


| स.के. |  | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | रकबा | प्रभावित भूमि |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | लालजी पिता | किशलाल चमार | 146/1 | 0.106 | 0.106 |
|  |  | योग | 1 | 0.106 | 0.106 |
| 9 | छोटिया पिता | देवा जाति चमार | $\begin{gathered} 146 / 2 \\ 149 / 3 / 3 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.107 \\ & 0.220 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.107 \\ & 0.220 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  |  | योग | 2 | 0.327 | 0.327 |
| 10 | दुलीचंद पिता | मांगीलाल चमार | 146/3 | 0.106 | 0.106 |
|  |  | योग | 1 | 0.106 | 0.106 |
| 11 | जुझारसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्रामभू--स्वामी |  | 147/2/3 | 0.393 | 0.155 |
|  |  | योग | 1 | 0.393 | 0.155 |
| 12 | प्रेमसिंह पिता | बंशीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी | 147/2/4 | 0.393 | 0.393 |
|  |  | योग | 1 | 0.393 | 0.393 |
| 13 | बापूलाल पिता भु-स्वामी | बंशीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम | 147/2/5 | 0.394 | 0.394 |
|  |  | योग | 1 | 0.394 | 0.394 |
| 14 | शिवनारायण भू-स्वामी | पिता पूरजी जाति सौंधिया नि.ग्राम | 147/2/6 | 0.589 | 0.330 |
|  |  | योग | 1 | 0.509 | 0.330 |
| 15 | रामबगस, गंग भू-स्वामी | ाराम पिता देवा जाति लोड़ा नि.ग्राम | 147/3/1 | 0.284 | 0.284 |
|  |  | योग | 1 | 0.284 | 0.284 |
| 16 | रामलाल पिता | देवा जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी | 147/3/2 | 0.095 | 0.095 |
|  |  | योग | 1 | 0.095 | 0.095 |
| 17 | नारान पिता रा | ामलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी | 147/4/1 | 0.018 | 0.014 |
|  |  | योग | 1 | 0.018 | 0.014 |
| 18 | दूलीचन्द, चेन भू-स्वामी | सिंह पिता मांगीलाल जाति चमार नि.ग्राम | 147/4/2 | 0.076 | 0.031 |
|  |  | योग | 1 | 0.076 | 0.031 |
| 19 | छोटिया पिता | देवा जाति चमार निग़ाम भू-स्वामी | 147/4/3 | 0.076 | 0.071 |
|  |  | योग | 1 | 0.076 | 0.071 |
| 20 | लालजी पिता | किशन जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी | 147/4/4 | 0.076 | 0.071 |
|  |  | योग | 1 | 0.076 | 0.071 |
| 21 | रतनलाल पिता | देवा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी | 147/4/5 | 0.076 | 0.071 |
|  |  | योग | 1 | 0.076 | 0.071 |
| 22 | प्रभूलाल पिता | रामलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी | 147/4/6 | 0.055 | 0.050 |
|  |  | सोग | 1 | 0.055 | 0.050 |
| 23 | जगन्नाथ पिता | रामलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी | 147/4/7 | 0.019 | 0.015 |
|  |  | योग | 1 | 0.019 | 0.015 |


| स.क. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | रकबा | प्रभावित भूमि |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | पन्नालाल पिता रामलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी | 147/4/8 | 0.019 | 0.016 |
|  | योग | 1 | 0.019 | 0.016 |
| 25 | गोरधन पिता देवाजी लोड़ा | 149/4/3 | 0.126 | 0.126 |
|  | योग | 1 | 0.126 | 0.126 |
| 26 | चैनसिंह पिता मन्ना जाति लोड़ा | 194/3 | 0.173 | 0.173 |
|  | योग | 1 | 0.173 | 0.173 |
| 27 | नारान पिता रामलाल जाति चमार | 146/6 | 0.027 | 0.027 |
|  | योग | 1 | 0.027 | 0.027 |
| 28 | रामलाल पिता देवा जाति लोड़ा | 145/3/1 | 0.094 | 0.094 |
|  | योग | 1 | 0.094 | 0.094 |
| 29 | प्रभुलाल पिता रामलाल जाति चमार | 100/1 | 0.058 | 0.058 |
|  | योग | 1 | 0.058 | 0.058 |
| 30 | केशररसिंह पिता देवाजी | 154/6/2 | 0.106 | 0.106 |
|  | योग | 1 | 0.106 | 0.106 |
| 31 | पन्नालाल पिता रामलाल जाति चमार | $149 / 3 / 7$ | $\begin{aligned} & 0.055 \\ & 0.026 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.055 \\ & 0.026 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.081 | 0.081 |
| 32 | जगन्नाथ पिता रामलाल जाति चमार | 149/3/8 | 0.055 | 0.055 |
|  | जगनाथ पिता रामलाल जाति चमार | 146/7 | 0.026 | 0.026 |
|  | योग | 2 | 0.081 | 0.081 |
| 33 | रतनलाल पिता देवा जाति चमार | 146/4 | 0.106 | 0.106 |
|  |  | 151/1 | 0.026 | 0.026 |
|  |  | 152/5 | 0.015 | 0.015 |
|  |  | 153/5 | 0.010 | 0.010 |
|  |  | 154/3/5 | 0.465 | 0.465 |
|  |  | 149/3/5 | 0.220 | 0.220 |
|  |  | 150/5 | 0.182 | 0.182 |
|  | योग | 7 | 1.024 | 1.024 |
|  | कुल योग | 47 | 15.202 | 12.606 |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्रमांक 11854-भू-अर्जन-2017
राजगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2017
कमांक /भू-अर्जन/2015 चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक /अ-82/2015-2016 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम माण्डाखेड़ा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के लहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

```
-: अनुसूरी ( 1) :-
```

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम माण्डाखेड़ा

-: अनुसूची (2):-
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम माण्डाखेड़ा

| $\begin{aligned} & \text { स. } \\ & \text { क. } \end{aligned}$ | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | रकबा | प्रभावित भूमि |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | सिंचित | अरिंचित | कुल भूगि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | अमरसिंह पिता धन्ना धापुबाई बेवा धन्ना, रोड़जी, मेहरबान पिता रूपा, कांती बाई पिता रूपा, कैशी बाई बेवा रूपा, प्रेमसिंह, नारू, गोपीलाल, रामप्रसाद पिता हरिसिंह बंजारा नि. ग्रम भु. स्वामी | 4/414/2 | 0.316 | 0.316 | 0.000 | 0.316 |
|  | योग | 1 | 0.316 | 0.316 | 0.000 | 0.316 |
| 2 | अमृतलाल ज़गदीश पिता धुलजी सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी | $\begin{gathered} 226 / 1 \\ 29 / 4 / 2 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.076 \\ & 0.263 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.076 \\ & 0.263 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.076 \\ & 0.263 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.339 | 0.000 | 0.339 | 0.339 |
| 3 | अजब बाई पति शिवनारायण सौध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | 142/2 | 0.107 | 0.000 | 0.107 | 0.107 |
|  | योग | 1 | 0.107 | 0.000 | 0.107 | 0.107 |
| 4 | उँकारसिंह पिता धुलजी सौध्या नि. ग्राम भु.स्वामी | $\begin{gathered} 8 / 403 \\ 91 / 2 / 2 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 1.947 \\ & 0.025 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 1.930 \\ & 0.025 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.017 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | 1.947 <br> 0.025 |
|  | योग | 2 | 1.972 | 1.955 | 0.017 | 1.972 |


| स.क्फ. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | रकबा | प्रभावित भूमि |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | सिंचित | असिंचित | कुल भूमि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | उम्मेदराम शान्ती लाल प्रवीण मधुबाई आ. रामसिंह माकुबाई बेवा रामसिंह चारण नि. ग्राम भु- स्वामी | 330/2 | 0.824 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
|  | योग | 1 | 0.824 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| 6 | एलकार सिंह साहुकारसिंह पिता निर्भयसिंह अमीर बाई बेवा निर्भयसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु-स्वामी | $\begin{gathered} 37 / 3 \\ 48 / 409 / 2 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.256 \\ & 0.304 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.256 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.304 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.256 \\ & 0.304 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.560 | 0.256 | 0.304 | 0.560 |
| 7 | किशोर पिता देवीलाल पारदी नि. ग्राम भु. स्वामी | 252/4/2 | 0.631 | 0.160 | 0.000 | 0.160 |
|  | योग | 1 | 0.631 | 0.160 | 0.000 | 0.160 |
| 8 | करणसिंह पिता रतनलाल सौध्या नि. ग्राम भु. स्वामी | 70/1/2/2/2 | 0.449 | 0.449 | 0.000 | 0.449 |
|  | योग | 1 | 0.449 | 0.449 | 0.000 | 0.449 |
| 9 | कमला बाई पति मांगी लाल बंजारा नि. ग्राम भु. स्वामी | 370/1/3 | 2.000 | 0.950 | 0.000 | 0.950 |
|  | योग | 1 | 2.000 | 0.950 | 0.000 | 0.950 |
| 10 | कालीबाई पति मांगीलाल सौध्या नि. ग्राम भु. स्वामी | $118 / 2$ $379 / 399 / 3$ $379 / 399 / 5$ $379 / 399 / 6$ $379 / 399 / 7$ $379 / 399 / 8$ $379 / 399 / 9$ | $\begin{aligned} & \hline 0.215 \\ & 0.500 \\ & 0.580 \\ & 0.400 \\ & 0.500 \\ & 0.365 \\ & 0.185 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.215 \\ & 0.500 \\ & 0.570 \\ & 0.400 \\ & 0.500 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.365 0.185 | $\begin{aligned} & \hline 0.215 \\ & 0.500 \\ & 0.580 \\ & 0.400 \\ & 0.500 \\ & 0.365 \\ & 0.185 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 7 | 2.745 | 2.185 | 0.560 | 2.745 |
| 11 | किशनलाल पिता सेवाजी चारण नि. ग्राम भु स्वामी | $\begin{gathered} \hline 230 / 406 / 1 \\ 309 / 395 \\ 310 / 396 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.080 \\ & 0.025 \\ & 0.038 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.080 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.000 \\ & 0.025 \\ & 0.038 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.080 \\ & 0.025 \\ & 0.038 \end{aligned}$ |
|  | योग | 3 | 0.143 | 0.080 | 0.063 | 0.143 |
| 12 | कविता बाई पति रामचन्द्र सौंध्या नि. ग्राम भु. स्वामी | 367/18/3 | 1.147 | 1.147 | 0.000 | 1.147 |
|  | योग | 1 | 1.147 | 1.147 | 0.000 | 1.147 |
| 13 | कंचनबाई बेवा मांगीलाल पारदी नि. ग्राम भु- स्वामी | 379/5/1 | 1.685 | 0.000 | 1.685 | 1.685 |
|  | योग | 1 | 1.685 | 0.000 | 1.685 | 1.685 |
| 14 | कमलसिंह पिता पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भू- स्वामी | $\begin{gathered} 225 / 4 \\ 227 / 1 / 4 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.028 \\ & 0.022 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.028 \\ & 0.022 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.028 \\ & 0.022 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.050 |
| 15 | गोरेलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्रांम भु.- स्वामी | $\begin{aligned} & 357 / 5 / 2 \\ & 367 / 1 / 3 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.018 \\ & 0.253 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.018 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.253 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.018 \\ & 0.253 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.271 | 0.018 | 0.253 | 0.271 |
| 16 | गोपाल पिता कनीराम जाति चारण नि. ग्राम भु- स्वामी | 379/399/1/1 | 5.060 | 0.000 | 1.200 | 1.200 |
|  | योग | 1 | 5.060 | 0.000 | 1.200 | 1.200 |


| $\begin{aligned} & \text { स. } \\ & \text { क. } \end{aligned}$ | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | रकबा | प्रभावित भूमि |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | सिंचित | असिंचित | कुल भूमि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | गोपाल पिता रुमेशन्द्र चारण नि. ग्राम भु- स्वामी | 232/2 | 0.124 | 0.000 | 0.124 | 0.124 |
|  | योग | 1 | 0.124 | 0.000 | 0.124 | 0.124 |
| 18 | घीसालाल पिता पित जगन्नाथ पारदी नि. ग्राम भु स्वामी | 379/6/1 | 0.445 | 0.000 | 0.445 | 0.445 |
|  | योग | 1 | 0.445 | 0.000 | 0.445 | 0.445 |
| 19 | चन्दरसिंह लाखनसिंह पिता अमरसिंह लीलाबाई बेवा. अमरसिंह कुम्हार नि. भ्राम भु- रवामी | 3/9 | 1.696 | 1.696 | 0.000 | 1.696 |
|  | योग | 1 | 1.696 | 1.696 | 0.000 | 1.696 |
| 20 | चन्दरसिंह पित पुरालाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | $\begin{gathered} 225 / 2 \\ 227 / 1 / 2 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.028 \\ & 0.023 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.028 \\ & 0.023 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.028 \\ & 0.023 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.051 | 0.000 | 0.051 | 0.051 |
| 21 | जतनबाई पति रतनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु सखामी | 379/4 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
|  | योग | 1 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
| 22 | जगदीश पिता मातीलाल सौंघ्या नि. ग्राम भु- स्वामी | $\begin{gathered} 5 / 9 \\ 4 / 414 / 7 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.443 \\ & 0.063 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.443 \\ & 0.063 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.443 \\ & 0.063 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.506 | 0.506 | 0.000 | 0.506 |
| 23 | जितेन्द्रसिंह ना.बा. पिता निर्भयसिंह सर. माता अमरीबाई बंवा निर्भयसिंह सोंध्या नि. ग्राम भु.- स्वाभी | 49/2 | 0.122 | 0.122 | 0.000 | 0.122 |
|  | योग | 1 | 0.122 | 0.122 | 0.000 | 0.122 |
| 24 | जोशन बाई पति विजयसिंह चारण नि. ग्राम भु. स्वामी |  | $\begin{aligned} & \hline 0.650 \\ & 2.000 \\ & 0.563 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.650 \\ & 0.620 \\ & 0.563 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.650 \\ & 0.620 \\ & 0.563 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 3 | 3.213 | 1.833 | 0.000 | 1.833 |
| 25 | जसरत पिता बापुलाल खाती नि. ग्राम भु. स्वामी | 57/2/1 | 0.993 | 0.353 | 0.000 | 0.353 |
|  | योग | 1 | 0.993 | 0.353 | 0.000 | 0.353 |
| 26 | देवराज पिता बापु सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | 32/411 | 0.569 | 0.000 | 0.569 | 0.569 |
|  | योग | 1 | 0.569 | 0.000 | 0.569 | 0.569 |
| 27 | दरोपबाई पति छोटेलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | 240/3 | 0.009 | 0.000 | 0.009 | 0.009 |
|  | योग | 1 | 0.009 | 0.000 | 0.009 | 0.009 |
| 28 | दरियावसिंह पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | 33/1 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 |
|  | योग | 1 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 |
| 29 | देवबाई पति मांगीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | $\begin{gathered} 199 / 402 / 1 \\ 287 / 2 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.044 \\ & 0.038 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.044 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.038 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.044 \\ & 0.038 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.082 | 0.044 | 0.038 | 0.082 |


| स.的. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | रकबा | प्रभावित भूमि |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | सिंचित | असिंचित | कुल भूमि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | देवराज पित बलराम चारण नि. ग्राम भु- स्वामी | $\begin{gathered} 320 / 397 \\ 336 / 1 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.038 \\ & 0.462 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.038 \\ & 0.411 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.038 \\ & 0.411 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.500 | 0.449 | 0.000 | 0.449 |
| 31 | देवीसिंह पिता मेहताब सौंधया नि. ग्राम भु- स्वामी | 11/4/2 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
|  | योग | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 32 | धन्नालाल पिता धीसा चमार लि. ग्राम भु- खवागी | $\begin{gathered} 89 / 2 / 2 \\ 281 / 3 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.379 \\ & 0.025 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.379 \\ & 0.025 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.379 \\ & 0.025 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.404 | 0.404 | 0.000 | 0.404 |
| 33 | धीरपसिंह पिता किशनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वाभी | $\begin{aligned} & 12 / 2 / 2 \\ & 46 / 4 / 2 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.927 \\ & 0.012 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.927 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.012 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.927 \\ & 0.012 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.939 | 0.927 | 0.012 | 0.939 |
| 34 | माधु पिता मेहताब कुम्हार नि. ग्राम भु- स्वामी | 63/7/1 | 1.858 | 1.672 | 0.000 | 1.672 |
|  | योग | 1 | 1.858 | 1.672 | 0.000 | 1.672 |
| 35 | नोरंगबाई पति रामचरण सौंध्या नि. ग्राम भुस्वामी | 360 $362 / 2 / 1$ $367 / 16 / 1$ | $\begin{aligned} & 0.291 \\ & 2.529 \\ & 2.228 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 1.214 \\ & 2.228 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.189 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | 0.189 1.214 2.228 |
|  | योग | 3 | 5.048 | 3.442 | 0.189 | 3.631 |
| 36 | नेनुबाई पति विजयसिंह चारण नि. ग्राम भु- स्वामी | $\begin{gathered} 71 / 405 \\ 187 / 394 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.544 \\ & 0.038 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 0.544 \\ 0.038 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.544 \\ & 0.038 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.582 | 0.582 | 0.000 | 0.582 |
| 37 | नारायण सिंह पिता देवजी सौंध्या नि. ग्राम भुस्वामी | $\begin{gathered} 18 / 3 \\ 35 / 4 \\ 37 / 2 \\ 49 / 1 \\ 106 / 4 \\ 109 / 4 \\ 48 / 409 / 1 \\ 110 / 4 \\ 349 / 1 / 6 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 1.254 \\ & 0.258 \\ & 0.256 \\ & 0.122 \\ & 0.066 \\ & 0.142 \\ & 0.303 \\ & 0.114 \\ & 1.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 1.158 \\ & 0.258 \\ & 0.256 \\ & 0.122 \\ & 0.066 \\ & 0.142 \\ & 0.000 \\ & 0.114 \\ & 1.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.303 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 1.158 \\ & 0.258 \\ & 0.256 \\ & 0.122 \\ & 0.066 \\ & 0.142 \\ & 0.303 \\ & 0.114 \\ & 1.000 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 9 | 3.515 | 3.116 | 0.303 | 3.419 |
| 38 | प्रेमबाई पति नारायणसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भु- स्वामी | 367/18/4 | 1.147 | 1.147 | 0.000 | 1.147 |
|  | योग | 1 | 1.147 | 1.147 | 0.000 | 1.147 |
| 39 | प्यारजी पिता जगन्नाथ सौंध्या नि. ग्राम भुस्वामी | $\begin{gathered} 4 / 414 / 3 \\ 4 / 414 / 5 \\ 200 / 387 \\ 286 / 4 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.190 \\ & 0.506 \\ & 0.025 \\ & 0.038 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.190 \\ & 0.506 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.025 \\ & 0.038 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.190 \\ & 0.506 \\ & 0.025 \\ & 0.038 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 4 | 0.759 | 0.696 | 0.063 | 0.759 |


| $\begin{aligned} & \text { स. } \\ & \text { क. } \end{aligned}$ | प्रभावित कृषक का नामं | खसरा नंबर | रकबा | प्रभावित भूमि |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | सिंचित | असिंचित | कुल भूमि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | फतेहसिंह पिता पूरजी सौंध्या नि. ग्राम भुस्वामी | $228 / 1$ $228 / 2$ $229 / 1 / 1$ $229 / 1 / 2$ $199 / 402 / 2$ $222 / 1 / 2$ $287 / 3$ | $\begin{aligned} & 0.064 \\ & 0.050 \\ & 0.011 \\ & 0.008 \\ & 0.044 \\ & 0.100 \\ & 0.026 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.044 \\ & 0.100 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.064 \\ & 0.050 \\ & 0.011 \\ & 0.008 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.026 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.064 \\ & 0.050 \\ & 0.011 \\ & 0.008 \\ & 0.044 \\ & 0.100 \\ & 0.026 \end{aligned}$ |
|  | योग | 7 | 0.303 | 0.144 | 0.159 | 0.303 |
| 41 | प्रेमसिंह पिता अमरसिंह सौंध्या नि. ग्राम भुस्वामी | $\begin{aligned} & 35 / 2 \\ & 38 / 1 \\ & 41 / 1 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.129 \\ & 0.184 \\ & 0.398 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.129 \\ & 0.184 \\ & 0.398 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.129 \\ & 0.184 \\ & 0.398 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 3 | 0.711 | 0.711 | 0.000 | 0.711 |
| 42 | प्रेंमसिंह पिता किशनलाल चारण नि. ग्राम भु- स्वामी | $\begin{aligned} & 6 / 415 / 2 \\ & 3 / 413 / 1 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.653 \\ & 0.177 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.653 \\ & 0.177 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.653 \\ & 0.177 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.830 | 0.000 | 0.830 | 0.830 |
| 43 | पर्वतसिंह पिता किशनलाल सौध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | 12/2/3 | 0.927 | 0.927 | 0.000 | 0.927 |
|  | योग | 1 | 0.927 | 0.927 | 0.000 | 0.927 |
| 44 | बनेसिंह पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | $\begin{gathered} 11 / 7 / 2 \\ 111 / 3 / 1 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.505 \\ & 0.330 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.505 \\ & 0.297 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.505 \\ & 0.297 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.835 | 0.802 | 0.000 | 0.802 |
| 45 | रामचरण, हीरालाल पिता घीसालाल, जगन्न्नाथ, रामबगस, सालगराम पिता कनीराम जाति दांगी नि. ढकोरा भु- स्वामी | $\begin{gathered} 361 \\ 366 \\ 367 / 19 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.266 \\ & 0.051 \\ & 5.059 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.110 \\ & 0.026 \\ & 4.553 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.110 \\ & 0.026 \\ & 4.553 \end{aligned}$ |
|  | योग | 3 | 5.376 | 0.000 | 4.689 | 4.689 |
| 46 | बीरम पिता किशन चमार नि. ग्राम भु- स्वामी | 30/2/2 | 0.177 | 0.177 | 0.000 | 0.177 |
|  | योग | 1 | 0.177 | 0.177 | 0.000 | 0.177 |
| 47 | भंवरलाल मांगीलाल कालुसिंह रामलाल बनेसिंह नारायण सिंह छोटेलाल आ. दला बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी | $\begin{gathered} 4 / 4 / 4 / 4 \\ 370 / 4 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.126 \\ & 0.506 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.126 \\ & 0.350 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.126 \\ & 0.350 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.632 | 0.476 | 0.000 | 0.476 |
| 48 | भारतसिंह पिता शान्तीलाल देवलबाई बेवा शान्ती लाल चारण नि. ग्राम भु- स्वामी | 232/1 | 0.123 | 0.000 | 0.123 | 0.123 |
|  | योग | 1 | 0.123 | 0.000 | 0.123 | 0.123 |
| 49 | भारतसिंह दिनेश पिता बनेसिंह नारेगबाई बेका बनेसिंह मांगीलाल छीतरलाल अनारसिंह सुल्तानरिंह होकमसिंह पिता. लालजी भुजीबाई बेवा लालजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | $\begin{gathered} 199 / 402 / 3 \\ 287 / 1 \\ 296 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.317 \\ & 0.076 \\ & 0.051 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.317 \\ & 0.000 \\ & 0.051 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.076 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.317 \\ & 0.076 \\ & 0.051 \end{aligned}$ |
|  | योग | 3 | 0.444 | 0.368 | 0.076 | 0.444 |


| $\begin{aligned} & \text { स. } \\ & \bar{\omega} . \end{aligned}$ | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | रकबा | प्रभावित भूमि |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | सिंचित | असिंचित | कुल भूमि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | भुलीबाई बेवा लालजी सौध्या नि. ग्राम भु. स्वामी | 91/2/2 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0.025 |
|  | योग | 1 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0.025 |
| 51 | मांगीलाल पिता पुरजी सौंध्या नि. ग्राम भुस्वामी | $\begin{gathered} 33 / 2 / 1 \\ 34 / 2 / 1 \\ 36 / 1 \\ 222 / 1 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.108 \\ & 0.107 \\ & 0.466 \\ & 0.100 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.108 \\ & 0.107 \\ & 0.466 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.100 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.108 \\ & 0.107 \\ & 0.466 \\ & 0.100 \end{aligned}$ |
|  | योग | 4 | 0.781 | 0.681 | 0.100 | 0.781 |
| 52 | मोतीलाल पिता केसर जी सौंध्या नि. ग्राम भुस्वामी | $35 / 1$ $37 / 1$ 55 $221 / 1 / 1$ $234 / 1 / 1$ | $\begin{aligned} & 0.258 \\ & 0.383 \\ & 1.303 \\ & 0.070 \\ & 0.106 \\ & \hline \end{aligned}$ | 0.258 0.383 1.303 0.000 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.070 0.106 | $\begin{aligned} & 0.258 \\ & 0.383 \\ & 1.303 \\ & 0.070 \\ & 0.106 \end{aligned}$ |
|  | योग | 5 | 2.120 | 1.944 | 0.176 | 2.120 |
| 53 | मोहनलाल पिता गोपीलाल सौंध्या नि. ग्राम भुस्वामी | $\begin{gathered} 29 / 4 / 1 \\ 131 / 2 \\ 226 / 2 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.510 \\ & 1.315 \\ & 0.076 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.247 \\ & 0.735 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.076 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.247 \\ & 0.735 \\ & 0.076 \end{aligned}$ |
|  | योग | 3 | 1.901 | 0.982 | 0.076 | 1.058 |
| 54 | मांगीलाल पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भुस्वामी | $\begin{gathered} 34 / 1 \\ 44 / 2 \\ 44 / 4 \\ 227 / 2 \\ 11 / 7 / 1 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.190 \\ & 0.114 \\ & 0.190 \\ & 0.012 \\ & 0.506 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.190 \\ & 0.114 \\ & 0.190 \\ & 0.000 \\ & 0.058 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.012 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.190 \\ & 0.114 \\ & 0.190 \\ & 0.012 \\ & 0.058 \end{aligned}$ |
|  | योग | 5 | 1.012 | 0.552 | 0.012 | 0.564 |
| 55 | मानसिंह पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी | 357/5/4 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.017 |
|  | योग | 1 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.017 |
| 56 | मांगीबाई पति देवसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वारी | $\begin{gathered} 23 / 410 / 2 \\ 379 / 399 / 4 / 2 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.348 \\ & 1.265 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.348 \\ & 1.265 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.348 \\ & 1.265 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 1.613 | 1.613 | 0.000 | 1.613 |
| 57 | मांगीलाल पिता गोपीलाल सौंध्या नि. ग्राम भुस्वामी | $\begin{gathered} 94 / 1 \\ 96 / 1 \\ 97 / 1 \\ 101 / 1 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.291 \\ & 0.082 \\ & 0.398 \\ & 1.164 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.291 \\ & 0.082 \\ & 0.398 \\ & 1.164 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.291 \\ & 0.082 \\ & 0.398 \\ & 1.164 \end{aligned}$ |
|  | योग | 4 | 1.935 | 1.935 | 0.000 | 1.935 |
| 58 | मांगीलाल पिता रूपा बंज़ारा नि. ग्राम भु- स्वामी | 357/5/1. | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.017 |
|  | योग | 1 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.017 |


| $\begin{aligned} & \mathrm{x} . \\ & \text { क. } \end{aligned}$ | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | रकबा | प्रभावित भूमि |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | सिंचित | असिंचित | कुल भूमि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 59 | रामचरण पिता हीरालाल सौध्या नि. ग्राभ भु- ख्वामी | 229/2 | 0.065 | 0.000 | 0.065 | 0.065 |
|  | योग | 1 | 0.065 | 0.000 | 0.065 | 0.065 |
| 60 | रामनारायण पिता सबलु सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | $\begin{gathered} 73 / 2 \\ 224 / 1 / 1 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.247 \\ & 0.130 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.247 \\ & 0.130 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.247 \\ & 0.130 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.377 | 0.000 | 0.377 | 0.377 |
| 61 | रामलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी | 357/5/5 | 0.018 | 0.018 | 0.000 | 0.018 |
|  | योग | 1 | 0.018 | 0.018 | 0.000 | 0.018 |
| 62 | रतन पिता भेरू सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | 11/5 | 1.770 | 1.760 | 0.010 | 1.770 |
|  | योग | 1 | 1.770 | 1.760 | 0.010 | 1:770 |
| 63 | रामबाबू दत्तक पुत्र मांगीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | $\begin{gathered} 33 / 2 / 2 \\ 34 / 2 / 2 \\ 36 / 2 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.082 \\ & 0.082 \\ & 0.357 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.082 \\ & 0.082 \\ & 0.357 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.082 \\ & 0.082 \\ & 0.357 \end{aligned}$ |
|  | योग | 3 | 0.521 | 0.521 | 0.000 | 0.521 |
| 64 | रमेशचन्द्र पिता किशनलाल चारण नि. ग्राभ भु- खामी | $311 / 10 / 2$ | 3.886 | 0.000 | 3.886 | 3.886 |
|  | योग | 1 | 3.886 | 0.000 | 3.886 | 3.886 |
| 65 | रामप्रसाद पिता भंवरलाल जाति पारदी नि. ग्राम भुस्वामी | $\begin{aligned} & 372 / 2 / 4 \\ & 252 / 4 / 4 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.316 \\ & 0.633 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.316 \\ & 0.130 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.316 \\ & 0.130 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.949 | $0.446{ }^{\circ}$ | 0.000 | 0.446 |
| 66 | रामसिंह पिता अमरसिंह सौंध्या नि. ग्राम भुस्वामी | $\begin{aligned} & 35 / 3 \\ & 38 / 2 \\ & 41 / 2 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.127 \\ & 0.183 \\ & 0.399 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.127 \\ & 0.183 \\ & 0.399 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.127 \\ & 0.183 \\ & 0.399 \end{aligned}$ |
|  | योग | 3 | 0.709 | 0.709 | 0.000 | 0.709 |
| 67 | रामकरण पिता हिन्दू सिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वांमी | 246/2/1/3 | 0.103 | 0.103 | 0.000 | 0.103 |
|  | योग | 1 | 0.103 | 0.103 | 0.000 | 0.103 |
| 68 | रतनलाल हरिसिंह पिता भेरू देवीसिंह हिन्दुसिंह पिता मेहताब सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | 223/1/1 | 0.120 | 0.000 | 0.120 | 0.120 |
|  | योग | 1 | 0.120 | 0.000 | 0.120 | 0.120 |
| 69 | रामसिंह पिता देवर्जी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वार्मी | $\begin{gathered} 362 / 1 / 3 / 1 \\ 367 / 23 \\ 379 / 999 / 1 / 1 / 5 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 1.000 \\ & 0.506 \\ & 0.730 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.842 \\ & 0.506 \\ & 0.300 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.842 \\ & 0.506 \\ & 0.300 \end{aligned}$ |
|  | योग | 3 | 2.236 | 0.000 | 1.648 | 1.648 |
| 70 | लालसिंह पिता लक्ष्मण चारण नि. ग्राम भु- स्वामी | 50/3 | 1.494 | 0.000 | 1.344 | 1.344 |
|  | योग | 1 | 1.494 | 0.000 | 1.344 | 1.344 |


| $\begin{aligned} & \text { स. } \\ & \text { क्र. } \end{aligned}$ | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | रकबा | प्रभावित भूमि |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | सिंचित | असिंचित | कुल भूमि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | लालजी पिता देवजी सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | $\begin{gathered} 18 / 4 \\ 37 / 4 \\ 48 / 409 / 3 \\ 49 / 3 \\ 109 / 6 \\ 221 / 6 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 1.254 \\ & 0.256 \\ & 0.304 \\ & 0.123 \\ & 0.142 \\ & 0.064 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 1.254 \\ & .0 .256 \\ & 0.000 \\ & 0.123 \\ & 0.000 \\ & 0.064 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.304 \\ & 0.000 \\ & 0.142 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 1.254 \\ & 0.256 \\ & 0.304 \\ & 0.123 \\ & 0.142 \\ & 0.064 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 6 | 2.143 | 1.697 | 0.446 | 2.143 |
| 72 | ललताबाई पिता निर्भयसिंह सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | 66/1/1 | 0.747 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
|  | योग | 1 | 0.747 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 73 | विजयसिंह पिता पन्नालाल सौंध्या नि. ग्राम भु. - स्वामी | $\begin{gathered} \hline 328 \\ 230 / 406 / 2 \\ 370 / 1 / 4 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 1.884 \\ & 0.059 \\ & 0.754 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.436 \\ & 0.059 \\ & 0.554 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.436 \\ & 0.059 \\ & 0.554 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 3 | 2.697 | 1.049 | 0.000 | 1.049 |
| 74 | शेतानबाई पिता हीरालाल सौध्या नि. ग्राम भु-स्वामी | 370/3/2 | 1.518 | 1.518 | 0.000 | 1.518 |
|  | योग | 1 | 1.518 | 1.518 | 0.000 | 1.518 |
| 75 | शिवनारायण पिता सबलू सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | 224/2/1 | 0.136 | 0.000 | 0.136 | 0.136 |
|  | योग | 1 | 0.136 | 0.000 | 0.136 | 0.136 |
| 76 | शिवनारायण पिता किशनलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | $\begin{gathered} \hline 12 / 2 / 1 \\ 12 / 2 / 4 \\ 46 / 4 / 1 \\ 229 / 4 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.464 \\ & 0.464 \\ & 0.051 \\ & 0.034 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.464 \\ & 0.464 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.051 \\ & 0.034 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} \hline 0.464 \\ 0.464 \\ 0.051 \\ 0.034 \\ \hline \end{array}$ |
|  | योग | 4 | 1.013 | 0.928 | 0.085 | 1.013 |
| 77 | शम्भु पिता देवीलाल पार्थी नि. ग्राम भु- स्वामी | 252/4/1 | 0.632 | 0.160 | 0.000 | 0.160 |
|  | योग | 1 | 0.632 | 0.160 | 0.000 | 0.160 |
| 78 | संतराबाई पति करण सिंह सौध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | 3/413/2 | 1.151 | 1.151 | 0.000 | 1.151 |
|  | योग | 1 | 1.151 | 1.151 | 0.000 | 1.151 |
| 79 | सरदार बाई पति उंकार सिंह सौध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | $\begin{gathered} 367 / 1 / 1 \\ 367 / 18 / 1 \\ 367 / 18 / 2 \\ 367 / 1 / 12 \\ 377 / 407 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.500 \\ & 0.750 \\ & 0.750 \\ & 0.363 \\ & 0.455 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.750 \\ & 0.750 \\ & 0.363 \\ & 0.455 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.500 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.500 \\ & 0.750 \\ & 0.750 \\ & 0.363 \\ & 0.455 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 5 | 2.818 | 2.318 | 0.500 | 2.818 |
| 80 | शान्तीलाल धीरप पिता भागीरथ मु. धापुबाई वि. भागीरथ पारथी नि. ग्राम भु- स्वाभी | $\begin{aligned} & 252 / 4 / 3 / 1 \\ & 272 / 2 / 1 / 3 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.633 \\ & 0.316 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.160 \\ & 0.316 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.160 \\ & 0.316 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.949 | 0.476 | 0.000 | 0.476 |
| 81 | सुन्दर बाई पति भंवरलाल बंजारा नि. ग्राम भुस्वामी | 367/21 | 2.370 | 0.711 | 0.000 | 0.711 |
|  | योग | 1 | 2.370 | 0.711 | 0.000 | 0.711 |


| स. क. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | रकबा | प्रभावित भूमि |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | सिंचित | असिंचित | कुल भूमि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 82 | सम्पत बाई पत्नी मोतीलाल सौंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | $5 / 13$ | 1.856 | 1.856 | 0.000 | 1.856 |
|  | योग | 1 | 1.856 | 1.856 | 0.000 | 1.856 |
| 83 | हिन्दुसिंह पिता मेहताब सौंध्या नि. ग्राम भुस्वामी | $\begin{gathered} 11 / 4 / 1 \\ 379 / 399 / 4 / 1 \\ 23 / 410 / 1 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.500 \\ & 1.265 \\ & 0.348 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.500 \\ & 1.265 \\ & 0.348 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.500 \\ & 1.265 \\ & 0.348 \end{aligned}$ |
|  | योग | 3 | 2.113 | 2.113 | 0.000 | 2.113 |
| 84 | हमीरसिंह छोटेलाल पिता सांवतसिंह चारण नि. ग्राम भु- स्वामी | 342 | 0.316 | 0.316 | 0.000 | 0.316 |
|  | योग | 1 | 0.316 | 0.316 | 0.000 | 0.316 |
| 85 | हीरालाल पिता भंवरजी सौंध्या नि. ग्राम भुस्वामी | $33 / 3$ 39 40 42 43 $46 / 3$ $229 / 3$ | 0.545 0.063 0.076 0.506 0.013 0.063 0.034 | $\begin{aligned} & 0.530 \\ & 0.063 \\ & 0.000 \\ & 0.506 \\ & 0.013 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.015 \\ & 0.000 \\ & 0.076 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.063 \\ & 0.034 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.545 \\ & 0.063 \\ & 0.076 \\ & 0.506 \\ & 0.013 \\ & 0.063 \\ & 0.034 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 7 | 1.300 | 1.112 | 0.188 | 1.300 |
| 86 | हरिसिंह पिता किशनलाल चारण नि. ग्राम भुस्वामी | $232 / 3$ $311 / 10 / 1 / 1$ $153 / 390 / 2$ $154 / 391$ $159 / 392$ $160 / 393$ | $\begin{aligned} & \hline 0.123 \\ & 3.886 \\ & 0.021 \\ & 0.025 \\ & 0.038 \\ & 0.076 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.025 \\ & 0.038 \\ & 0.076 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.123 \\ & 2.768 \\ & 0.021 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.123 \\ & 2.768 \\ & 0.021 \\ & 0.025 \\ & 0.038 \\ & 0.076 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 6 | 4.169 | 0.139 | 2.912 | 3.051 |
| 87 | प्रेमसिंह पिता पुरालाल सौध्या नि. ग्राभ भु- स्वामी | $\begin{gathered} \hline 225 / 3 \\ 227 / 1 / 3 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \hline 0.029 \\ & 0.022 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.029 \\ & 0.022 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.029 \\ & 0.022 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.051 | 0.000 | 0.051 | 0.051 |
| 88 | औमप्रकाश भगवानदास कमलदास चन्द्रकला भगवती अशोक पिता केसरदास सुन्दरबाई पंति केसरदास बैरागी नि. ग्राम भु- स्वामी | $367 / 1 / 2$ | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
|  | योग | 1 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 89 | भंवरिया विजयसिंह धनश्याग पिता कनीराम मु. मीराबाई बेवा कनीराम जाति बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी | 70/416 | 0.455 | 0.000 | 0.455 | 0.455 |
|  | योग | 1 | 0.455 | 0.000 | 0.455 | 0.455 |
|  | प्रेंमसिंह पिता दीपा बरजुबाई बेवा दीपा जाति बंजारा नि. ग्राम भु- स्वामी | $\begin{gathered} 4 / 414 / 6 \\ 367 / 1 / 10 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.063 \\ & 0.500 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 0.063 \\ 0.500 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.063 \\ & 0.500 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.563 | 0.563 | 0.000 | 0.563 |
| 91 | रघुवीर, दिनेश पिता रामप्रसाद् अयौध्याबाई बेवा रामप्रसाद जाति गाडरी नि. ग्राम भु- स्वामी | 370/1/2 | 2.000 | 0.000 | 1.400 | 1.400 |
|  | योग | 1 | 2.000 | 0.000 | 1.400 | 1.400 |


| $\begin{aligned} & \text { स. } \\ & \text { क. } \end{aligned}$ | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | रकबा | प्रभावित भूमि |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | सिंचित | असिंचित | कुल भूमि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 92 | कंचनबाई पिता दोलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी | 11/3 | 1.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
|  | योग | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 |
| 93 | रामनारायण पिता मांगीलाल जाति कुम्हार नि.ग्राम भू-स्वामी | 63/5 | 2.530 | 0.000 | 1.450 | 1.450 |
|  | - योग | 1 | 2.530 | 0.000 | 1.450 | 1.450 |
| 94 | देवबाई, गीताबाई, संतोषबाई, गंगाबाई, रमाबाई पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी | 63/6 | 0.795 | 0.000 | 0.795 | 0.795 |
|  | योग | 1 | 0.795 | 0.000 | 0.795 | 0.795 |
| 95 | नेनीबाई बेवा दल्ला जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्चामी | 70/1/2/2/1 | 1.916 | 1.916 | 0.000 | 1.916 |
|  | योग | 1 | 1.916 | 1.916 | 0.000 | 1.916 |
| 96 | विजयसिंहु पिता पुरालाल स़ंध्या नि. ग्राम भु- स्वामी | $\begin{gathered} 225 / 1 \\ 227 / 1 / 1 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 0.029 \\ & 0.022 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.029 \\ & 0.022 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.029 \\ & 0.022 \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 0.051 | 0.000 | 0.051 | 0.051 |
| 97 | सांवला आम्बा पिता उमराव जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी | 230/1 | 0.160 | 0.000 | 0.160 | 0.160 |
|  | योग | 1 | 0.160 | 0.000 | 0.160 | 0.160 |
| 98 | छोटेलाल पिता रूपा बंजारा नि. ग्राम भु.- स्वामी | 357/5/3 | 0.018 | 0.018 | 0.000 | 0.018 |
|  | योग | 1 | 0.018 | 0.018 | 0.000 | 0.018 |
| 99 | जोसनाबाई पति विजयसिंह जाति चारण नि. ग्राम भुस्वामी | $\begin{aligned} & 362 / 1 / 2 \\ & 369 / 2 / 1 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 1.247 \\ & 0.563 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.140 \\ & 0.563 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.140 \\ & 0.563 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 1.810 | 0.703 | 0.000 | 0.703 |
| 100 | भंवरलाल पिता दल्ला जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी | 367/1/4 | 0.500 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
|  | योग | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| 101 | कालू पिता दल्ला जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी | 367/1/5 | 0.500 | 0.000 | 0.300 | 0.300 |
|  | योग | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.300 | 0.300 |
| 102 | घन्ना पिता भाना जाति बंजारा निग्राम भू-स्वारी | 367/1/7 | 0.378 | 0.378 | 0.000 | 0.378 |
|  | योग | 1 | 0.378 | 0.378 | 0.000 | 0.378 |
| 103 | धन्नालाल पिता भाना जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी | 368/3/3 | 0.827 | 0.827 | 0.000 | 0.827 |
|  | योग | 1 | 0.827 | 0.827 | 0.000 | 0.827 |
| 104 | प्रेमसिंह पिता सब्बा जाति बंजारा निग्राभ भू-स्वामी | 367/1/9 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
|  | योग | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 105 | गोपीलाल, लालसिंह पिता धूलर्जी, बचना बाई बेवा हीराबाई पिता धूलजी, शिवलाल, अगरसिंह पिता भोना, फ़ललसिंह पिता पेमा मु.नूरीबाई बेवा पेमा जाति बंजारा निग्राम भू-सवामी | $\begin{aligned} & 367 / 4 \\ & 368 / 2 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.569 \\ & 0.759 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.150 \\ & 0.151 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.000 \\ & 0.000 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 0.150 \\ & 0.151 \end{aligned}$ |
|  | योग | 2 | 1.328 | 0.301 | 0.000 | 0.301 |


| $\begin{aligned} & \frac{7}{6} \\ & \text { क. } \end{aligned}$ | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | रकबा | प्रभावित भूमि |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | सिंचित | असंचित | कुल भूमि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 106 | प्रेमबाई पिता मानसिंह जाति बृजा नि.ग्राम भू-ख्वारी | 369/2/3 | 0.759 | 0.759 | 0.000 | 0.759 |
|  | योग | 1 | 0.759 | 0.759 | 0.000 | 0.759 |
| 107 | हमीरसिंह पिता सांवतसिंह जाति चारण नि. ग्राम भुस्वामी | 370/5 | 3.794 | 2.700 | 0.000 | 2.700 |
|  | योग | 1 | 3.794 | 2.700 | 0.000 | 2.700 |
| 108 | किशोर पिता देवीलाल जाति परथी नि,्राम भू-स्वारी | $372 / 2 / 3 / 3$ | 0.114 | 0.114 | 0.000 | 0.114 |
|  | योग | 1 | 0.114 | 0.114 | 0.000 | 0.114 |
| 109 | माखनलाल पिता किशनलाल जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम अतंरालिया भु- स्वामी | 379/2 | 2.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
|  | योग | 1 | 2.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| 110 | मांगीलाल पिता हजारी जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी | 385/1/2 | 1.000 | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
|  | योग | 1 | 1.000 | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
| 111 | चन्दरसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भ--स्वामी | 2/4/2/2/2 | 0.158 | 0.000 | 0.158 | 0.158 |
|  | योग | 1 | 0.158 | 0.000 | 0.158 | 0.158 |
| 112 | देवबाई पति नारायणसिंह जाति सौंधिया निग्राम भू-रवामी | 70/1/4/2 | 1.145 | 0.000 | 1.145 | 1.145 |
|  | योग | 1 | 1.145 | 0.000 | 1.145 | 1.145 |
| 113 | नारायणसिंह, रामचन्द्र पिता उंकारसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी | 296/3 | 0.038 | 0.000 | 0.038 | 0.038 |
|  | योग | 1 | 0.038 | 0.000 | 0.038 | 0.038 |
| 114 | पर्वतसिंह, संतोषबाई, सुनीताबाई पिता उंकार, सूरजबाई बेवा उंकारसिंह, नारायणसिंह पिता बिहारीलाल जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी | 367/2/1/1 | 0.230 | 0.000 | 0.230 | 0.230 |
|  | योग | 1 | 0.230 | 0.000 | 0.230 | 0.230 |
| 115 | बल्लभबाई पति प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी | 27/1/2 | 0.573 | 0.000 | 0.573 | 0.573 |
|  | योग | 1 | 0.573 | 0.000 | 0.573 | 0.573 |
| 116 | रेशबाई पति भगवानसिंह जाति सौंधिया निग्राम भू-स्वामी | 2/4/2/2/1 | 0.158 | 0.000 | 0.158 | 0.158 |
|  | योग | 1 | 0.158 | 0.000 | 0.158 | 0.158 |
| 117 | लालसिंह, बजेसिंह पिता मांगीलाल, प्रेमबाई बेवा गांगीलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी | 267/2/4/1 | 0.234 | 0.000 | 0.234 | 0.234 |
|  | योग | 1 | 0.234 | 0.000 | 0.234 | 0.234 |


| 枹 | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | रकबा |  | प्रभावित |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| क. |  |  |  | सिंचित | असिंचित | कुल भूमि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 118 | सरदारबाई पिता नवल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी | 280/2/3 | 0.015 | 0.000 | 0.015 | 0.015 |
|  | योग | 1 | 0.015 | 0.000 | 0.015 | 0.015 |
| 119 | विष्णु पिता गणपत, सोहदरबाई बेवा गणपत जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी | 368/1/2 | 2.000 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
|  | योग | 1 | 2.000 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
|  | कुलयोग :- | 227 | 130.016 | 67.056 | 33.862 | 100.918 |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 11-अ-82-2016-2017 अलीराजपुर, दिनांक 20 फरवरी 2017

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दि गई अनुसूची क्रमांक 01 में छोटाउदयपूर-धार रेलवे लाईन हेतु ग्राम कस्वाजोबट तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवरशापंन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
-:: अनुसूची (01) :-

| ग्राम कस्वाजोबट |  |  | तहसील जोबट |  |  |  |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| स.क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर मे) |  |  |  |  |
|  |  | सिंचित | असिंचित | कुल रकबा |  |  |
| 1 | निजी भूमि | 3.893 | 2.082 | 5.975 |  |  |

- -: अनुसूची (02) ::-

| स.क्र. | कृषक का नाम व पिता/पति का नाम | भूमि का रकबा |  |  |  | अर्जित की जाने वाली मूयि का रकबा (हेक्टर) |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | खसरा क्र. | सिंचित | असिंचित | कुल रकबा | सिंचित | असिंचित | कुल रकबा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | राजेन्द्रसिंह अजमेरसिंह पिता गुलाबसिंह व राबाई बेवा गुलाबसिंह पि. केकडिया जाति भील पता कन्दा भूमि स्वामी। | 507 | 0.000 | 1.220 | 1.220 | 0.000 | 0.235 | 0.235 |
| 2 | हुकाम कुदरसिंह उगरसिंह ी़िता केसरा इन्दरसिंह गमान सायदा सेलबाई कस्तुरी पिता रतनसिंह कैलाश मदन रेलम पिता मुकामसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी। | 517 | 1.140 | 0.000 | 1.140 | 0.318 | 0.000 | 0.318 |


| 3 | केलबाई भगडी सुमा पिता सेकडीया व थावला मोहब्बतसिंह पिता नाहरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी। | 510 | 0.000 | 1.260 | 1.260 | 0.000 | 0.573 | 0.573 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 | केलबाई भगडी सुमा पिता सेकडीया व थावला मोहब्बतसिंह पिता नाहरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी। | 512 | 0.000 | 0.370 | 0.370 | 0.000 | 0.306 | 0.306 |
| 5 | केलबाई भगडी सुमा पिता सेकडीया व थावला मोहब्बतसिंह पिता नाहरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राभ भूमि स्वामी। | 488 | 0.000 | 1.640 | 1.640 | 0.000 | 0.392 | 0.392 |
| 6. | सकरूसिंह पिता जेराम जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी। | 561 | 0.000 | 1.110 | 1.110 | 0.000 | 0.089 | 0.089 |
| - 7 | रायसिंह पिता जुवानसिंह जाति भीलाला पता सा० देह भूमि स्वामी। | 563 | 1.080 | 0.000 | 1.080 | 0.422 | 0.000 | 0.422 |
| 8 | सुन्दरसिंह पिता रतनसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी। | 564 | 1.010 | 0.000 | 1.010 | 0.223 | 0.000 | 0.223 |
| 9 | सरदार किशन पिता गणपत व हिगली बेवा गणपत जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वानी। | 565/1 | 0.300 | $0.000$ | 0.300 | 0.125 | 0.000 | 0.125 |
| 10 | नानका पिता जुवानसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी। | 565/2 | 0.240 | 0.000 | 0.240 | 0.097 | 0.000 | 0.097 |
| 11 | मगन पिता जुवानसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी। | 566 | 0.610 | 0.000 | 0.610 | 0.212 | 0.000 | 0.212 |
| 12 | दिनलिया पिता जंगलियाजाति भीलाला पता सा० देह भूमि स्वामी। | 635 | 0.720 | 0.000 | 0.720 | 0.104 | 0.000 | 0.104 |
| 13 | सरदार शंकर पिता छगन जाति भीलाला पता सा0 देह भूमि स्वामी। | 623/2 | 2.160 | 0.000 | 2.160 | 1.064 | 0.000 | 1.064 |
| 14 | जुवानसिंह पिता हारलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी। | 623/3 | 1.480 | 0.000 | 1.480 | 0.194 | 0.000 | 0.194 |
| 15 | सरदार शंकर पिता छगन जाति भीलाला पता सा० देह भूमि स्वामी। | 623/4 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.021 | 0.000 | 0.021 |
| 16 | जुवानसिंह पिता हारलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी। | 623/5 | 0.720 | 0.000 | 0.720 | 0.512 | 0.000 | 0.512 |
| 17 | कालुसिंह पिता हारलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी। | 624 | 0.520 | 0.000 | 0.520 | 0.251 | 0.000 | 0.251 |
| 18 | कालुसिंह पिता हारलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी। | 664/623 | 0.180 | 0.000 | 0.180 | 0.180 | 0.000 | 0.180 |
| 19 | कालुसिंह पिता हाऱलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वमी। | 663/623 | 1.100 | 0.000 | 1.100 | 0.170 | 0.000 | 0.170 |
| 20 | मगन पिता जुवानसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी! | 506 | 0.000 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.487 | - 0.487 |
|  | योग:- | 20 | 11.660 | 6.200 | 17.860 | 3.893 | 2.082 | 5.975 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश <br> राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 17 जनवरी 2017

प्र. क्र. 02-अ-82-60-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील

| (1) | (2) $/ ग ् र ा म ~$ | लगभग क्षेत्रफल |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| (ह. में) |  |  |

$$
\text { छतरपुर बक्सवाहा कर्री } 62.500
$$

## अनुसूची

धारा 11 की उपधारा (1) एवं सार्वजनिक प्रयोजन
12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
का वर्णन
(5)

अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.

जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-61-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

> अनुसूची

| भूमि का वर्णन |  |  |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल |
|  |  |  | (हे. में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| छतरपुर | बक्सवाहा | निपनिया | 15.000 |

## धारा 11 की उपधारा (1) एवं सार्वजनिक प्रयोजन

 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी(5)

अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.

का वर्णन
(6)

जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-62-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |  |  |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम़ | लगभग क्षेत्रफल |
|  |  |  | (हे. में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| छतरपुर | बक्सवाहा | खतरियां | 72.500 |

धारा 11 की उपधारा (1) एवं सार्वजनिक प्रयोजन

12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)

अनुविभागीय अधिकारी/ भू अर्जन अधिकारी, बिजावर.

का वर्णन
(6)

जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
> रमेश भंडारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 20 फरवरी 2017
प्र. क्र.-2-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

| भूमि का वर्णन |  |  |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकबा <br> (हेक्टेयर में) |
|  |  |  | लगभग |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| दतिया | दतिया | दुर्गापुर | 2.46 |

धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी
(5)

कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.).

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)

दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की दुर्गापुर माइनर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरोक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-2-अ-82-2015-16. —चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |  |  |  | धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृतं अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| जिला | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) |  |  |
|  |  |  | लगभग |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दतिया | दतिया | पिसनारी | 1.10 | कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.). | दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की पिसनारी माइनर के निर्माण हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

## मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं
(1) (2) पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 20 फरवरी 2017
प्र. क्र. 1-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-निजी भूमि
(क) जिला-दतिया
(ख) तहसील-दतिया
(ग) ग्राम-भागोर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल- 5.62 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
प्रभावित रकबा
(हे. में)

| 953 | 0.01 |
| :--- | :--- |
| 1787 | 0.08 |

$1789 \quad 0.13$

| $1796 / 1,1796 / 2$ | 0.04 |
| :--- | :--- |
| 1800 | 0.05 |

$1801 \quad 0.05$
1802 . 0.03
$1803 \quad 0.02$
$1811 \quad 0.15$
$1821 \quad 0.11$
301 " 0.16

1824/1, 1824/2 0.02
$1774 \quad 0.01$
323 0.09
$271 \quad 0.01$
$246 \quad 0.03$
$245 \quad 0.11$
$242 \quad 0.15$
$352 \quad 0.12$
355 0.08
$354 \quad 0.13$

| 3 | 0.04 | 354 | 0.13 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 20 | 0.11 | 325 | 0.08 |
| 23 | 0.12 | 326 | 0.03 |
| 24 | 0.01 | 324 | 0.05 |
| 105 | 0.01 | 329 | 0.04 |
| 106 | 0.09 | 331 | 0.01 |
| 107 | 0.23 | 269 | 0.08 |
| $123 / 1,123 / 2$ | 0.11 | 261 | 0.16 |
| 1790 | 0.26 | 258 | 0.06 |
| 22 | 0.01 | 257 | 0.02 |
| 119 | 0.09 | 353 | 0.01 |
| 886 | 0.01 | 241 | 0.04 |
| 887 | 0.04 | 202 | 0.19 |
| 888 | 0.04 | 200 | 0.04 |
| 890 | 0.02 | 201 | 0.12 |
| 322 | 0.09 | 208 | 0.08 |
| 949 | 0.19 | 209 | 0.03 |


| (1) (2) | कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं |
| :---: | :---: |
| 421 0.05 | पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग |
| 425 0.14 |  |
| $420 \quad 0.01$ |  |
| $414 \quad 0.02$ | क्र. 3506-भू-अर्जन-2017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात |
| 415 0.05 | का समाधान हो गया है कि नीचे दो गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भमि की, अनुसी के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक |
| 4160.03 | प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं |
| 418 0.04 | पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, |
| 302 0.04 | 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता |
| 270 0.06 | है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:- |
| 1822 0.03 | अनुसूची |
| 1823 0.07 | (1) भूमि का वर्णन- |
| 368 - 0.11 | (क) जिला-धार |
| 384 0.01 | (ख) तहसील-धार |
| 379 0.10 | (ग) ग्राम—जामन्दा |
| 380 0.12 | (घ) अर्जित रकबा-7.235 हैक्टेयर. |
| 381 0.04 | खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित |
| 893 - 0.06 | रकबा (हे. में) |
| 891 0.10 | (1) (2) |
| 350 0.05 | 281/1 0.089 |
| 358 - 0.08 | 281/2 0.014 |
| 369 0.12 | 282/1 0.031 |
| 113 O.05 | $282 / 2 \quad 0.701$ |
| 1250.02 | 282/3 0.549 |
| 126 0.02 | 294/1 0.882 |
|  | 2950.047 |
| 122 0.09 | 296/1 0.710 |
| 1200.02 |  |
| - प्रभावित सर्वे नम्बर 83 | 2970.340 |
| कुल प्रभावित सर्वे नम्बर 83 | 3050.014 |
| कुल प्रभावित रकबा 5.62 | 298 0.427. |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.-खर्राघाट मध्यम | $340 \quad 0.562$ |
| सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु. | $342 / 20.342$ |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन | $352 / 2 \quad 0.120$ |
| शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा | 361/1 0.816 |
| सकता है. | 359 0.150 |
|  | 358 0.577 |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यत्री, दतिया सिचाई <br> नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है | 357 0.036 |
|  | 355 |
| मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, | 356/1 0.138 |
| . मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. | योग . . 7.235 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3508-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-धार
(ग) ग्राम—एकलदुना (दिग्ठान)
(घ) अर्जित रकबा- 3.783 हैक्टेयर.

| खसरा क्रमांक | अर्जन हेतु प्रस्तावित <br> रकबा (हे. में) |
| :--- | :---: |
| (1) | $(2)$ |
| $54 / 3$ | 0.633 |
| $83 / 1$ | 0.415 |
| $83 / 2 / 1$ | 0.025 |
| $81 / 1 / 1 / / 1$ | 0.073 |
| $81 / 4 / 1$ | 0.075 |
| $81 / 4 / 2$ | 0.083 |
| $81 / 3 / 1$ | 0.081 |
| $81 / 3 / 2$ | 0.078 |
| $81 / 1 / 1 / 2$ | 0.070 |
| $81 / 2 / 1$ | 0.156 |
| $81 / 5$ | 0.132 |
| $80 / 3 / 3$ | 0.116 |
| $190 / 3 / 2$ | 0.010 |
| $186 / 1 / 3$ | 0.021 |
| $79 / 4$ | 0.110 |
| $80 / 4$ | 0.596 |
| $186 / 2 / 2$ | 0.120 |
| $186 / 2 / 3$ | 0.095 |
| $190 / 2 / 1$ | 0.338 |
|  |  |


| (1) | $(2)$ |
| :--- | ---: |
| $190 / 2 / 2$ | 0.303 |
| $81 / 6 / 3$ | 0.090 |
| $81 / 1 / 2$ | योग . |
|  | $\left.\begin{array}{lr}3.783 \\ & \end{array}\right) .163$ |
|  |  |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3510-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धार
(ख) तहसील-धार
(ग) ग्राम—सिरसौदा
(घ) अर्जित रकबा— 0.390 हैक्टेयर.

| खसरा क्रमांक | अर्जन हेतु प्रस्तावित |
| :--- | :---: |
| रकबा (हे. में) |  |
| (1) | (2) |
| $345 / 3$ | 0.011 |
| $347 / 2$ | योग . . 0.379 |
|  |  |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालक इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे धार-इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

## उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 20th February 2017
No. 332-Confdl.-2017-II-3-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting Induction Course (First Phase) for the newly appointed Civil Judges Class II from 2017 Batch from 6th March 2017 to 1st April 2017 in the Academy. Trainee Judges, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid course.

Conditions for the course :-

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Course shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by $9.30 \mathrm{a} . \mathrm{m}$. on 6th March 2017 in the Lecture Room of MPSJA at Jabalpur.
3. They shall appear for the course in prescribed uniform (i. e. Black coat, white shirt, grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course.
4. T. A. \& D. A. of the participants is remibursable only as per Government Rules.
5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging . boarding and enterainment of the participants in the Guest House of the Academy.

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed on the mobile number 09424958820 of Shri K.L. Chourasia. In case Shri Chourasia cannot be contacted, the participants may contact Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to Shri Pramod Kushwaha, A. G. III on Mobile No. 09713717147 or on Office telephone No. 0761-2628679 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made. If may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of RailwayStation,Jabalpur
(Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.
6. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. \& D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.
7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Course and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of Course.
8. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Course, free of charge, as per the rules of the Academy.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice, MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

Jabalpur, the 22nd February 2017
No. 345-Confdl.-2017-II-2-5-17.-Madhya Pradesh State Judicial Academy (MPSJA) is organizing five Regional Workshops in this financial year from 1st January 2017 to 19th March 2017 on closed Saturdays and Sundays, as per the action plan of XIV Finance Commission for Training of Judicial Officers, with the funds allocated by the State Government under the Head-''Training \& Training Material' to the High Court.

In this connection, the 5th Regional Workshop onMotor Accident claim Cases and Key issue relating to appeals and Revisions is being organized on 18th \& 19th March 2017 at Chhindwara in which Judicial Officers of HJS cadre from Balaghat, Betul, Chhindwara, Harda, Hoshangabad, Khandwa, Narsinghpur and Seoni (32 Officers in all), whose names are shown in the endorsement will participate, as per the following conditions:-

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment. The District \& Sessions Judges of the respective districts are authorized to deal with the letter of adjustment. If any, and exempt the said Judicial Officer looking to his/her exigency under intimation to the Academy.
2. The Judicial Officers included in the workshop shall have to report for training on 18th March 2017 at $9.30 \mathrm{a} . \mathrm{m}$. at the venue intimated by the District \& Sessions Judge, Chhindwara.
3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop. Proper attire with blazer/coat/suit would be required for group photograph.
4. Judicial Offficers who will come from places other than the venue of Regional Workshop (Headquarters) may come by their official vehicle or private vehicle. Cost of fuel charges of private vehicles shall be reimbursed to them as per their entitlement according to circular No. F 4-2/2016/Rules/ four dated 5th November 2016 of Government of Madhya Pradesh, Finance Department, Vallabh Bhawan @ Rs. 6/-per km to attend the workshop.

Respective District \& Sessions Judges from whose districts Judicial Officers have been nominated for the Workshop shall be allotted fund for reimbursement of TA bills of the participant Judicial Officers.
5. The District \& Sessions Judge, Chhindwara has to provide all logistic support like arranging public address system, conference hall having
capacity to accommodate atleast 35 Judicial Officers etc. required for conducting the said workshop, stay arrangements of the participants/ Officers \& Staff of MPSJA, catering services, etc.
6. During Workshop, breakfast, working lunch and tea twice with light snacks and dinner on the first day of the Workshop shall be served. On second day, breakfast, working lunch and tea twice with light snacks shall be provided. The outstation participants shall be provided dinner packs, on request.
7. Stay arrangement shall be provided on single/ twin sharing basis for the participants.
8. The District Judge may utilize the services of two of the Judges from District Judiciary for logistic support and they shall be paid remuneration of Rs. $1,000 /$ - per head per workshop and the District Judge shall be paid remuneration of Rs. 1,500/- for guidance and providing logistic support, which shall be adjusted towards their honorarium paid as guest faculty.

Class III and Class IV employees (two each) of the District Headquarters whose services will be utilized during the workshop, an incentive of Rs 450/- to Class III employees and Rs. 250/to Class IV Employees shall be provided.
9. Judicial Officers at regional headquarters or from other places, whose services are utilized as Guest Faculty for the purpose of workshop, shall be paid honorarium as per High Court Order dated 26-08-2016.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice, A. K. SRIVASTAVA, PRINCIPAL REGISTRAR (ILR \& EXAM).

जबलपुर, दिनांक 27 फरवरी, 2017
क्र. 355-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तंभ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तंभ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तंभ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं-

सारणी

क्र. नाम
(1)

1. श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद.

कहां से कहां को
(3)

होशंगाबाद
(4)

जबलपुर

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, जबलपुर की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 2 मार्च 2017

क्र. B-1437-एक-7-3-16 भाग-एक.-उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक सी-4309-एक-7-3-2016 भाग-1 जबलपुर, दिनांक 02 नवम्बर 2016 एवं रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-224-एक-7-3-2016, भाग-1 जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौरग ग्वालियर तथा उनकी रजिस्ट्री एवं मध्यप्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में होली के दूसरे दिन (भाईदूज) मंगलवार दिनांक 14 मार्च, 2017 का अवकाश घोषित किया जाता है

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

$$
\text { जबलपुर, दिनांक } 22 \text { फरवरी } 2017
$$

क्र. C-788-एक-7-3-16 भाग-एक.-उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अंधिसूचना क्रमांक बी-224-एक-7-3-2016, भाग-1, जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष 2017 हेतु घोषित द्वितीय शनिवार अवकाश दिवस के स्थान पर तृतीय शनिवार को अवकाश दिवस घोषित किया जाता है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.एल.आर एवं परीक्षा).

जबलपुर, दिनांक 21 फरवरी 2017
क्र. E-1485-दो-3-420/80-भाग-बारह.-श्री राजीव शर्मा, सेवानिवृत्त ओ.एस.डी. (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 210 दिवस (दो सौ दस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012 / नियम / चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

> गणना-पत्रक

1. श्री राजीव शर्मा, : 28-03-1983

सेवानिवृत्त ओ. एस.डी.
(जिला एवं सत्र न्यायाधीश),
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक
: 30-11-2016
3. नियुक्ति दिनांक 28-03-1983

से दिनांक 09-03-87 तक
: 03 वर्ष 11 माह कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित : $3 \times 15=45$ दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन की दर से)
6. कालम (4) में अंकित : $30=15 \times 15=225$ दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 270 दिन समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:-सेवा के दौरान : 60 दिन

लिया गयां अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 210 दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर दिनांक 22 फरवरी 2017
क. E-1560-दो-2-9-2017.—श्री देवनारायण पाटिल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 16 से 18 फरवरी 2017 तक तीन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में 19 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री देवनारायण पाटिल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकांशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवनारायण पाटिल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-1562-दो-2-13-2008.—श्री मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के दिनांक 13 से 17 फरवरी 2017 तक, पांच दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 16 से 17 फरवरो 2017 तक दो दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. E-1564-दो-2-109-2006.-श्री प्रहलादसिंह पाटीदार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 20 से 23 फरवरी 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रहलादसिंह पाटीदार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रहलादसिंह पाटीदार, उपरोक्तनुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-1566-दो-2-46/2010-श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तनुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-1568-दो-2-36-2014.-श्री महेश भदकारिया, जिला

एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 13 से 18 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेश भदकारिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश भदकारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-1570-दो-2-11-2012.-श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 15 से 18 मार्च 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 से 14 मार्च 2017 तक के सार्वजनिक/स्थानीय अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 मार्च 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रद्युम्न सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016
क्र. 1190-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी). -भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को कंडिका (2) की सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तंभ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तंभ (6) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियमित न्यायालय में पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्वतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश

की हैसियत से नियुक्त करता है:-
क्रमांक नाम

| (1) कहां से | कहां को | सत्र खण्ड |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| (2) नाम |  |  |

1. श्री मोहित दीवान

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)

षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी:-
(1) आदेश क्रमांक 1125-गोपनीय-2016, दिनांक 08 नवम्बर 2016, जहां तक इसका संबंध श्री मोहित दीवान, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर, का, जबलपुर से अनूपपुर स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
(2) श्री मोहित दीवान की "षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के पद पर पदस्थापना केवल दिनांक 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिये की गयी है, अत: "General Transferr Exercise-2017"' की कार्यवाही के अंतर्गत स्थानांतरण हेतु उनके नाम पर विचार किया जावेगा, यदि वे आवश्यक समझें को अपना स्थानांतरण संबंधी अभ्यावेदन, "स्थानांतरण नीति" के अनुरूप, निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर सकते हैं.
क्र. 1194-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री प्रभात कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अंपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को, उनके कार्य के अतिरिक्त, छिन्दवाड़ा जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री प्रभात कुमार मिश्रा को छिन्दवाड़ा सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री प्रभात कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश़, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

## जबलपुर दिनांक 27 फरवरी 2017

क्र. 359-गोपनीय-2017-II-2-33/57 (Pt.-12) .—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना दिनांक $2 / 4$-तीन-2002, 14 जनवरी 2005, 04-नवम्बर 2009, 20 मई 2011 एवं 30 जुलाई 2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक-I-1-2002-इक्कीस-ब-(एक)-5181, दिनांक 7 जनवरी, 2017 एवं आदेश फा क्रमांक-I-1-2002-इक्कीस-ब-(एक)-939, दिनांक 25 फ़रवरी, 2017 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त, निम्न सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्तंभ (3) में वर्णित 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक स्तंभ (4) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पंदस्था करता है:-

क्र. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम
(1) (2)

1. श्री श्रवण कुमार रघुवंशी,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार.
2. श्री राज कुमार भावे,

विशेष न्यायाधीश,
SC/ST (P.A.) Act, शाजापुर.

सारणी

62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि
(3)

28-02-2019

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(4)

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद की है सियत से श्री एम. पी. अवस्थी, के स्थान पर दिनांक 20-03-2017 से. श्री श्रवण कुमार रघुवंशी, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) संभालेंगे एवं इस हेतु 15 दिनों के लिए श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
(1)
(2)
(3)

19-01-2019
3. श्री श्याम सुन्दर गर्ग, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश
(4)

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी:-1. उपरोक्त सेवानिवृत्त हो चुके एवं होने जा रहे न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.

क्र. 360-गोपनीय-2017-II-2-33/57 (Pt.-12) .-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हेतु, उच्व न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, निम्म सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तंभ (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:-
सारणी
क्र. नाम

| (1) | (2) | कहां से | कहां को न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

1 श्री अविनाश कुमार खरे, नीमच शाजापुर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर की हैसियत प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब से रिक्त न्यायालय में. न्यायालय, नीमच.

टिप्पणी:-1. श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच का, नीमच से शाजापुर का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.
2. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 955, 956-गोपनीय-2016, दिनांक 20-09-2016 के तारतम्य में, श्रृंखला कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैनशाजापुर, एतद्द्वारा समाप्त (delink) की जाती है.

क्र. 361-गोपनीय-2017-II-2-33/57 (Pt.-12).—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय को उनके घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त सारणी के स्तंभ क्रमांक (3) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय एवं अवधि के लिये, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु आदेशित करता है:-

सारणी

क्रमांक पीठासीन अधिकारी का नाम व
वर्तमान पदस्थापना का स्थान
(1)

## (2)

1. श्री ओमप्रकाश शर्मा (जूनियर), अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन.

श्रृंखला न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी
(3)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (जूनियर) वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, नीमच में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

जबलपुर, दिनांक 01 मार्च, 2017

क. 372 -गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री भरत सिंह औहरिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, रतलाम को, उनके कार्य के अतिरिक्त, रतलाम जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णत: अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है. -

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री भरत सिंह औहरिया को रतलाम सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री भरत सिंह औहरियॉ, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, रतलाम की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

क्र. 373-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए). - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, शाजापुर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहितां 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा को शाजापुर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायांधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायदीध, शाजापुर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

क. 374-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, डॉ. जगदीश चन्द्र सुनहरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार को, उनके कार्य के अतिरिक्त, धार जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, डॉ. जगदीश चन्द्र सुनहरे, को धार सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, डॉ. जगदीश चन्द्र सुनहरे, विशेष न्यायाधींश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

क्र. 378-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद को, उनके कार्य के अतिरिक्त, होशंगाबाद जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णत: अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे, को होशंगाबाद सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

## जबलपुर, दिनांक 02 मार्च, 2017

क्र. 382-गोपनीय-2017-दो-3-250-57 (भाग-35).-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधिं और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 31 जनवरी 2017, 6/7 फरवरी 2017 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

|  |  | सारणी |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| क. | नाम | प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान | न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | सुश्री अनुप्रिया पाराशर ( मेरिट क्रमांक 26). | इंदौर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, इंदैर के न्यायालय के अष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज). |
| 2. | सुश्री स्मिता स्वर्णकार ( मेरिट क्रमांक 28). | ग्वालियर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जंज). |
| 3. | सुश्री बबीता प्रजापत ( मेरिट क्रमांक 39). | ग्वालियर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के पंचम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज). |
|  | सुश्री सोनम शर्मा ( मेरिट क्रमांक 46). | नरसिंहपुर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नरसिंहपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज). |
|  | श्री रावेन्द्र कुमार सोनी ( मेरिट क्रमांक 48). | कटनी | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कटनी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज). |

क. 385-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी).-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तंभ (2) में दर्शित न्यायिक अधिकारी, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमशः फा. क्रमांक 3(ए) 4055-21-ब(एक), दिनांक 07 फरवरी 2017 एवं आदेश पृष्ठांकन क्रमश: फा. क्रमांक 3(ए) 4052 -इक्कीस-ब(एक), दिनांक 02 फरवरी 2017, द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070 में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर या अन्य आदेश तक नियुक्त किया गया है, को निम्न सारणी के स्तंभ (3) में दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रशिक्षण हेतु पदस्थ करता है:-

सारणी

| क्रमांक | नाम | पदस्थापना <br> का स्थान | पदस्थापना के सन्दर्भ में टिप्पणी |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | श्री उत्सव चतुर्वेदी ( मेरिट क्रमांक 06) | जबलपुर | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से. |
| 2 | श्री जसवंत सिंह यादव ( $े$ रिट क्रमांक 10) | मुरैना | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से. |

जबलपुर, दिनांक 3 मार्च, 2017
क्र. 390-गोपनीय-2017-दो-3-250/57-( भाग-35).-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 को उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यार्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायो कार्य विभाग, भोपाल के

आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3 (बी) $3 / 2015$-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 06 जनवरी 2017 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तंभ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

|  |  | सारणी |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| क्रमांक | नाम प्रशि | प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना | न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त |
|  |  | का स्थान | न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | श्रीमती ज्योति सिंह, टेकाम (मेरिट क्रमांक 87) | ) धाऱ | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, धार के न्यायालय के षषष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज). |
| 2 | सुश्री भानू पंडवार, ( मेरिट क्रमांक 95) | छिन्दवाड़ा | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (टेनी जज). | जबलपुर, दिनांक 04 मार्च 2017

क्र. 399-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी).-भारतीय संविधान के अंनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी, के स्तंभ (2) में दर्शित न्यायिक अधिकारी, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन फा. क्रमांक 3 (ए) 4060 -इक्कीस-ब(एक), दिनांक 07 फरवरी 2017 एवं आदेश पृष्ठांकन फा. क्रमांक 3(ए) 4053-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24-02-2017 द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070 में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर या अन्य आदेश तक नियुक्त किया गया है, को निम्न सारणी के स्तंभ (3) में दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रशिक्षण हेतु पदस्थ करता है:-

| क्रमांक | सारणी |  |
| :--- | :--- | :--- |
| (1) | (2) | पदस्थापना |
| का स्थान | (3) |  |

1 श्री संदीप शर्मा ( मेरिट क्रमांक 01)

2 श्री मुकेश कुमार (मेरिट क्रमांक 08)

भोपाल

सागर

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 27 फरवरी 2017
क्र. 357-गोपनीय-2017-दो-3-27-2017.-उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी रश्मिना परवेज मंसूरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग1, आलोट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, आलोट, जिला रतलाम का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन 'श्रीमती रश्मिना" पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी करने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार, मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

